[2019] 15 एस. सी. आर. 569

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। & ओआरएस।

वी.

अनंत महादेव सावंत (डी) एलआरएस के माध्यम से। & ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11774)

सितंबर 18,2019

[आर. एफ. नरीमन, आर. सुभाष रेड्डी

और सूर्या कान्ट, जे. जे.]

महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948

एस. 32 - एफ (1) (ए)-एस में किया गया संशोधन। 32 1969 के अधिनियम 49 द्वारा एफ (1) (ए)

सुसंगतता और इसकी प्रयोज्यता का उद्देश्य और उद्देश्य

एस में किए गए संशोधन का उद्देश्य। 32 - एफ (1) (ए) 1969 के अधिनियम द्वारा एक मकान मालिक के किरायेदार द्वारा खरीद के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जो टिलर दिवस पर विधवा थी या मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित थी-आयोजितः 1969 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य एक मकान मालिक के किरायेदार द्वारा खरीद के अधिकार के दायरे को तय करने में प्रासंगिक और लागू होता है जो टिलर दिवस पर विधवा थी या मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित थी। विधवा किरायेदार को विधवा के ब्याज की समाप्ति की सूचना भेजने के लिए बाध्य है ताकि किरायेदार अपने खरीद के अधिकार का प्रयोग कर सके।

महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948

एस. 32 - एफ (1) (ए)-शाब्दिक व्याख्या या व्याख्या के सुनहरे नियम की व्याख्या-1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 32-एफ की शुरूआत द्वारा, किरायेदार को उस अवधि की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर खरीदने का अधिकार दिया गया था जहां मकान मालिक नाबालिग था या विधवा या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति था, जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार था। 31

हालांकि, मकान मालिकों से भूमि रखने वाले किरायेदारों की संख्या जो

नाबालिगों को देने में विफलता के कारण भूमि खरीदने का अधिकार खो दिया गया था

एस की उप-धारा (1-ए) में निर्धारित अवधि के भीतर सूचना। 32 - इस प्रकार, किरायेदारों को भूमि खरीदने का नया अवसर देने के लिए, धारा 32-1969 के संशोधन अधिनियम 49 द्वारा संशोधित-शब्द "और किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, मकान मालिक किरायेदार

को इस तथ्य की सूचना भेजेगा कि उसने उस अवधि की समाप्ति से पहले बहुमत प्राप्त कर लिया है, जिसके दौरान ऐसा किया गया था।

मकान मालिक किरायेदारी यू/एस को समाप्त करने का हकदार है। 31 , में डाला गया

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उप-धारा (1) (ए)-धाराओं में संशोधन। 32 - एफ (1) (ए) स्पष्ट रूप से कवर किया गया

मकान मालिक का मामला जो नाबालिग था और बहुमत प्राप्त कर चुका है, लेकिन

अन्य दो श्रेणियों की विधवा या मानसिक या मानसिक विकारों के अधीन व्यक्ति

भौतिक रूप से स्पष्ट रूप से शामिल नहीं-आयोजितः एस का शाब्दिक पठन। 32 एफ (1) (ए) बेतुकी स्थिति की ओर ले जाएगा-ड्राफ्ट्समैन भूल गया कि

जब एस को जोड़ा जाता है। 32 - एफ (1) (ए) बनाया गया था, एस। 32 एफ (1) (ए) संदर्भित

मकान मालिकों की तीन श्रेणियां और केवल एक नहीं

कानून ऐसा कर सकता है

हानि के स्तर को पहचानें, लेकिन ऐसा करने में वर्गीकरण करना चाहिए कभी भी मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल न करें-वर्गीकरण में किया गया

अन्य दो श्रेणियों के जमींदारों के किरायेदारों के विपरीत छोटे जमींदारों के किरायेदारों का पक्ष लेना मनमाना प्रकृति का है।

इस तरह के वर्गीकरण को आम तौर पर इस रूप में समाप्त करना होगा कला का उल्लंघन करना। 14 – हालांकि, इस तरह के प्रहार करने के बजाय

समग्र रूप से वर्गीकरण, शब्द ". इस तथ्य के कि उनके पास है

प्राप्त बहुमत. ", को नीचे गिराया जा सकता है, परिणामस्वरूप एस। 32 - एफ (1) (ए)

एफ (1) (ए) कला के अनुरूप। 14 , शब्द ". इस तथ्य के कि वह बहुमत प्राप्त कर लिया है। "हटा दिया जाता है ताकि सूचना जो है

मकान मालिक द्वारा सभी के किरायेदारों को किया जाना है प्रावधान द्वारा कवर किए गए मकान मालिकों की तीन श्रेणियाँ

विधियों की व्याख्या-भारत का संविधान-कला। 14 .

महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 -

एस. 32 - एफ (1) (ए)-जहां मकान मालिक नाबालिग है, उसे खरीदने का किरायेदार का अधिकार, आदि-एस का निर्माण। 32 एफ (1) (ए)-आयोजितः में किरायेदार की खेती करना

सभी मामले जहां मकान मालिक नाबालिग, विधवा या व्यक्ति है

एक विकलांगता के अधीन, वैधानिक रूप से मालिक नहीं बनता है

टिलर दिवस पर उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई कृषि भूमि

जमींदारों की इन तीन श्रेणियों को खेती करने वाला माना जाता है।

व्यक्तिगत रूप से ऐसे किरायेदार के माध्यम से-इन तीन मामलों में से किसी में भी, जिस क्षण अक्षमता समाप्त हो जाती है, भूमि अब नाबालिग की नहीं है,

जैसे कि वह बड़ा हो गया है, या किसी विधवा के लिए, जैसे कि वह मर गई है या

अनुमति के साथ अपना हिस्सा हस्तांतरित किया यू / एस. 63, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका

मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त हो जाती है-ऐसे व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है। इस आधार पर भूमि को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन करने के लिए एक वर्ष

ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उक्त भूमि पर खेती करना चाहते हैं।

जिसके लिए भूमि के कब्जे के लिए आवेदन यू/एस। 29 तब हो सकता है

किया जाए-- यदि यह निर्धारित समय के भीतर किया जाता है, तो किरायेदार का खरीदने का अधिकार फलीभूत नहीं होता-किरायेदार का अधिकार है

स्थगित, केवल तभी जब यह एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है।

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 1969 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य अधिकार के दायरे को तय करने में प्रासंगिक और लागू है

एक मकान मालिक के किरायेदार द्वारा खरीद जो एक विधवा थी या टिलर्स डे पर मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित थी। विधवा के हित में उत्तराधिकारी किरायेदार को विधवा के ब्याज की समाप्ति की सूचना भेजने के लिए बाध्य है ताकि किरायेदार अपने खरीद के अधिकार का प्रयोग कर सके। [पैरा 50] [630-सी-ई]

2.1 महाराष्ट्र किरायेदारी की योजना और [2019] 15 एस. सी. आर.

कृषि भूमि अधिनियम, 1948, और विशेष रूप से, 1956 का संशोधन, जिसने टिलर दिवस की शुरुआत की, यह है कि भूमि में एक अनुपस्थित मकान मालिक के अधिकारों को एक खेती करने वाले किरायेदार को रास्ता देना चाहिए। वैधानिक रूप से, टिलर दिवस पर, मकान मालिक को स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है और

किरायेदार को कृषि भूमि का अधिकार दिया जाता है, जिस पर वह अपने प्रयास से खेती करता है। यह केवल तीन मामलों में है कि ऐसी खरीद अप्रभावी हो जाती है-यदि किरायेदार उसे नोटिस दिए जाने के बाद निर्धारित समय के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, या दिखाई देता है और खरीद को अस्वीकार कर देता है, या यदि किरायेदार पूरी खरीद मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है। विधवा, नाबालिग और विकलांग व्यक्ति को एक ही पीठ पर रखा जाता है, और उनके विधवा होने के दौरान, अल्पसंख्यक या विकलांगता की अवधि को अपने किरायेदारों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने के लिए माना जाता है -

धारा 2 (6) का स्पष्टीकरण-I यह स्पष्ट करता है। अधिकांश मामलों में, मकान मालिक को एक निश्चित तिथि यानी 1 अप्रैल, 1957 को अपने स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है। यह केवल असाधारण मामलों में है जहां मकान मालिक एक विधवा, नाबालिग या विकलांग व्यक्ति है कि किरायेदार के इस अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों की जानकारी में ही किरायेदार एक निश्चित तिथि यानी 1 अप्रैल, 1957 को वैधानिक रूप से मालिक बन जाता है। अन्यथा भी, धारा 32 के तहत उल्लिखित स्थगित तिथियों पर, किरायेदार को धारा 32 की उप धारा (1) के पहले परंतुक के तहत ऐसी स्थगित तिथि पर भूमि खरीदा हुआ माना जाएगा, जब धारा 29 के तहत मकान मालिक द्वारा कब्जे के लिए किया गया आवेदन अंततः खारिज कर दिया जाता है-एक ऐसी तारीख जो मकान मालिक और किरायेदार दोनों की जानकारी में हो। इसके अलावा, धारा 32 (1ए) के तहत निर्धारित परिस्थितियों के तहत, फिर से यह माना जाएगा कि किरायेदार ने भूमि खरीदी है। तारीख जिस पर उक्त उप-धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है। फिर से, नीचे

उप-धारा (1 ख), उक्त उप-धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में, भूमि किरायेदार को बहाल कर दी जाती है जिस पर मान लिया जाता है कि

खरीद-फरोख्त होती है। वैधानिक रूप से, इसलिए, सभी मामलों में शामिल

एस द्वारा। 32 , मकान मालिक को या तो टिलर दिवस पर या एक स्थगित तिथि पर उसकी उपाधि से वंचित कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी उसके पास होती है। किरायेदार, जैसा कि उक्त तिथि किसी न्यायाधिकरण या तहसीलदार के अंतिम आदेश पर और उससे है, जैसा भी मामला हो। [पैरा 13] [600-एच; 601-ए-एफ]

2.2 धारा 32-जी इस तथ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है कि एक किरायेदार को नोटिस पर रखा जाना चाहिए ताकि खरीद मूल्य

न्यायाधिकरण द्वारा भूमि का निर्धारण किया जाए। धारा 32-जी (1) के तहत यह सूचना प्रत्येक गांव में निर्धारित प्रपत्र में एक सार्वजनिक सूचना के रूप में है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण प्रत्येक किरायेदार को व्यक्तिगत रूप से एक नोटिस भी जारी करेगा जिसमें उसे पेश होने के लिए कहा जाएगा। नोटिस में निर्दिष्ट तिथि को उससे पहले। ऐसा ही एक किरायेदार का मामला है जिसके बारे में माना जाता है कि उसने जमीन खरीदी है।

धारा 32-जी (5) के तहत स्थगित तिथि। टिलर्स डे के बाद बनाए गए किरायेदारों के संबंध में धारा 32-ओ के तहत, एक किरायेदार व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला, ऐसी किरायेदारी शुरू होने के एक वर्ष के भीतर, अधिकतम सीमा क्षेत्र के भीतर ऐसी भूमि खरीदने का हकदार होगा। उप-धारा (1 ए) के तहत, इस अधिकार का प्रयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से मकान मालिक और न्यायाधिकरण को उस ओर से एक सूचना देकर किया जाना है। यह फिर से एक तारीख है जो किरायेदार की जानकारी में है क्योंकि एक वर्ष की अवधि की गणना उसकी किरायेदारी की शुरुआत से की जाती है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 32 के तहत स्थगित तिथियों और टिलर दिवस के बाद बनाए गए किरायेदारों के संबंध में किरायेदार के अधिकार के मामले में, किरायेदार को अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग यह अच्छी तरह से जानते हुए करना है कि यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा नहीं करता है या खरीद मूल्य का भुगतान नहीं करता है, तो खरीद या तो अप्रभावी हो जाती है या

अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन सभी मामलों में, किरायेदार को उस समय के बारे में पता होता है जिसके भीतर उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। [पैरा 14] [601-जी-एच; 602-ए-डी] 2.3 धारा 32-एफ को कृषि सुधार की योजना के हिस्से के रूप में 1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। गैर-अस्थायी खंड, जिसके साथ धारा शुरू होती है, का कारण यह है कि उन सभी मामलों में जहां मकान मालिक नाबालिग है, विधवा है या विकलांग व्यक्ति है, कृषि किरायेदार वैधानिक रूप से एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) द्वारा व्यक्तिगत रूप से खेती की गई कृषि भूमि का मालिक नहीं बनता है।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस।

उन्हें टिलर्स डे पर। यही कारण है कि धारा 2 (6) स्पष्टीकरण-I के तहत, जमींदारों की इन तीन श्रेणियों को ऐसे किरायेदार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला माना जाता है। द. इन तीन श्रेणियों में से किसी एक के तहत किरायेदारी को समाप्त करने की पात्रता धारा 31 (3) में निहित है। इन तीन में से किसी भी मामले में, जिस क्षण अक्षमता समाप्त हो जाती है, यानी कि

प्रश्न अब किसी नाबालिग का नहीं है, क्योंकि वह वयस्क हो गया है, या किसी विधवा का नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है या उसने धारा 63 के तहत अनुमति के साथ अपना हिस्सा हस्तांतरित कर दिया है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को भूमि को फिर से शुरू करने के लिए इस आधार पर आवेदन करने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उक्त भूमि पर खेती करना चाहते हैं, जिसके अनुसार धारा 29 के तहत भूमि के कब्जे के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि यह समय के भीतर किया जाता है

निर्धारित, किरायेदार का खरीदने का अधिकार फल नहीं देता है। यह केवल तभी होता है जब यह एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है,

किरायेदार का विलंबित अधिकार अस्तित्व में आता है। [पैरा 15] [602 डी-एच]

2.4 1969 के संशोधन अधिनियम से पहले, धारा 32-एफ (1) (ए) के एक सादे शाब्दिक पठन पर, यह सच है कि एक किरायेदार को समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिकार का प्रयोग करना था।

अधिनियम की धारा 31 (3) में उल्लिखित एक वर्ष का। शाब्दिक रूप से, इसलिए, भले ही किरायेदार को पता न हो कि कब

कि इससे एक विशेष तथ्य के ज्ञान की कमी के लिए भारी कठिनाई होगी जो केवल मकान मालिक के अधिकार क्षेत्र में है, विधायिका ने कदम उठाया और धारा 32-एफ में संशोधन किया। [पैरा 16 और 17] [603-ए-सी]

2.5 उद्देश्यों और कारणों के कथन का पैराग्राफ 2 इंगित करता है कि एक माफी योजना आवश्यक है, जिसमें एक बड़ा

बॉम्बे क्षेत्र में किरायेदारों की संख्या जो नाबालिग हैं, ने खरीद का अधिकार खो दिया है क्योंकि वे क़ानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने में विफल रहे हैं। इस माफी योजना के तहत, यदि कोई किरायेदार किसी ऐसे मकान मालिक से भूमि रखता है जो नाबालिग था और जिसने इससे पहले बहुमत प्राप्त किया था

1969 के संशोधन का प्रारंभ और कोई सूचना नहीं दी गई थी, उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो साल अतिरिक्त दिए गए थे जिसमें ऐसी सूचना [2019] 15 एस. सी. आर. हो सकती है।

दिया गया। यह वैधानिक उद्देश्य, जो उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैराग्राफ 2 में परिलक्षित होता है, 1969 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 32-एफ में अंतःस्थापित उप-धारा (1ए) के परंतुक द्वारा किया जाता है। शब्द और किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, मकान मालिक को एक सूचना भेजी जाएगी

इस तथ्य का किरायेदार कि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक हकदार है

धारा 31 के तहत किरायेदारी को समाप्त करना, उप धारा (1) (ए) में डाला गया था। धारा 32-एफ (1) (ए) में इन शब्दों को जोड़ने से पता चलेगा कि विधायिका, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए

वैधानिक रूप से प्राप्त करने के लिए, मकान मालिक को उसके अधिकार से वंचित करना और भूमि को खेती करने वाले किरायेदार को सौंपना, संभवतः तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि अकेले मकान मालिक की जानकारी में एक विशेष तथ्य पहले किरायेदार को सूचित नहीं किया जाता है, ताकि वह तब इस ज्ञान के साथ कि नाबालिग मकान मालिक अब बड़ा हो गया है, अधिनियम के तहत अपने खरीद के अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग कर सके। [पैरा 18,19] [604-ए-एफ] 2.6 विधायिका के संज्ञान में आने वाले अधिकांश मामले मकान मालिकों के थे जो 1956 के संशोधन अधिनियम के समय नाबालिग थे और जो केवल बड़े हो गए थे

इसके बाद। इसलिए, उप-धारा (1ए) में निहित माफी योजना केवल ऐसे मामलों तक ही सीमित थी। दुर्भाग्य से, विधायिका, जब उसने धारा 32-एफ की उप-धारा (1) (ए) में शब्द जोड़े, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भूल गई है कि ये शब्द किरायेदारों के अधिकार को नियंत्रित करेंगे, जिसे स्थगित कर दिया गया है।

मकान मालिक की अक्षमता का लेखा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य छूट गया है कि नाबालिगों के अलावा, धारा 32-एफ (1) (ए) में दो अन्य श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से सभी किरायेदार के संबंध में एक ही आधार पर खड़े होंगे। यह.

किसी किरायेदार के लिए यह कहना पूरी तरह से विसंगत होगा कि यदि उसका मकान मालिक नाबालिग है जो बाद में बहुमत प्राप्त कर चुका है, तो उसे सार्थक रूप से समझाने से पहले इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए। अपने खरीद के अधिकार का प्रयोग करें; जबकि एक किरायेदार के लिए जो इसी तरह से स्थित है जब मकान मालिक एक विधवा है, जिस स्थिति में ऐसी कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, किरायेदार को उसकी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि किरायेदार को विधवा की मृत्यु की तारीख (जो कि केवल उसके परिवार को ज्ञात एक विशेष तथ्य है) के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, ऐसे किरायेदार के खरीद के अधिकार को समय के साथ समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि 1969 के संशोधन का मसौदा तैयार करने वाला एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) था।

किरायेदार को दिए गए, क्योंकि विधवा की मृत्यु और/या अक्षमता की समाप्ति विशेष तथ्य हैं जो केवल मकान मालिक और उसके परिवार को ही पता हैं, जैसे कि एक नाबालिग बड़े होने के मामले में। [पैरा 20] [604-जी-एच; 605-ए-सी] 2.7 धारा 32-एफ (1) (ए) के शाब्दिक पठन से एक बेतुकी स्थिति पैदा हो जाएगी। मकान मालिक विधवा होने के नाते उसकी मृत्यु तक संरक्षित रहता है। उसकी मृत्यु के बाद, उसे एक वर्ष दिया जाता है।

फिर से शुरू करने के अधिकार का प्रयोग करने में रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी। जब ऐसा नहीं होता है तो किरायेदार को अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए इस पहले एक वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष का समय दिया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किरायेदार को विधवा की मृत्यु के बारे में पता नहीं होता है। नतीजतन, यह वही भूमि जो मकान मालिक के उत्तराधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत खेती के लिए ब्याज में आवश्यक नहीं थी, धारा 32-पी के तहत मकान मालिक को वापस चली जाती है, उन मामलों में जिनमें मकान मालिक के पास या तो अधिकतम सीमा के भीतर कोई भूमि नहीं है या कुछ ऐसी भूमि है जो अधिकतम सीमा को समाप्त नहीं करती है। यह विसंगति वास्तव में कृषि सुधार की पूरी योजना को अपने सिर पर ला देती है। इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या धारा 32-एफ की भाषा को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ताकि उल्लिखित बेतुकी और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव को दूर किया जा सके। [पैरा 21] [605-डी-एफ]

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 1956 के संशोधन का उद्देश्य, जो एक कृषि सुधार कानून है, और टिलर देना है।

इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 32-एफ (1) (ए) की शाब्दिक व्याख्या न्याय और तर्क के विपरीत होगी और इससे बड़ा नुकसान होगा। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के लिए भी कठिनाई

1956 के संशोधन के उद्देश्य के अनुसार, "..... इन शब्दों के बिना, इसलिए, तीनों श्रेणियों से संबंधित मकान मालिक को उस अवधि की समाप्ति से पहले किरायेदार को एक सूचना भेजनी होगी, जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक धारा 31 के तहत किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है। [पैरा 36] [622-सी-डी] [2019] 15 एस. सी. आर.

तीरथ सिंह बनाम। बचित्तर सिंह और अन्य। [1955] 2 एस. सी. आर. 457; रामास्वामी नादर बनाम। मद्रास राज्य [1958] एस. सी. आर. 739; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। आजाद भारत फाइनेंस कंपनी और ए. एन. आर. [1966] सप. एस. सी. आर. 473; बुधन सिंह बनाम। नबी बक्स [1970] 2 एस. सी. आर. 10; आयकर आयुक्त, मध्य कलकत्ता बनाम। राष्ट्रीय ताज व्यापारी (1980) 1 एस. सी. सी. 370: [1980] 2 एससीआर 268; के. पी. वर्गीज बनाम आईटीओ (1981) 4 एससीसी 173: [1982] 1 एस. सी. आर. 629; सी. आई. टी. बनाम. जे. एच. गोटला (1985) 4 एससीसी 343: [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 711; तमिलनाडु राज्य बनाम। कोडाइकनाल मोटर यूनियन (पी) लिमिटेड (1986) 3 एस. सी. सी. 91: [1986] 2 एससीआर

927 ; हमीदिया हार्डवेयर स्टोर बनाम। बी. मोहनलाल

(1988) 2 एससीसी 513: [1988] 3 एस. सी. आर. 384; सुरजीत सिंह कालरा बनाम। भारत संघ (1991) 2 एससीसी 87: [1991] 1 एससीआर 364; सी. डब्ल्यू. एस. (भारत) लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त (1994) सप. 2 एससीसी 296: [1994] 2 एस. सी. आर. 247; मोलर मल बनाम। के आयरन वर्क्स (पी) लिमिटेड (2000) 4 एस. सी. सी. 285; भारत संघ बनाम। हंसोली देवी (2002) 7 एस. सी. सी. 273 [2002] 2 पूरक। एस. सी. आर. 324 संदर्भित है।

ग्रे वी। पियर्सन (1857) एल. आर. 6 एच. एल. कैस 61; सैल्मन बनाम।

डनकॉम्ब (1886) 11 एसी 627-संदर्भित।

4. कानून नुकसान की डिग्री को पहचान सकता है, लेकिन ऐसा करने में वर्गीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या टालने वाला नहीं होना चाहिए।

1969 के संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख किया गया है। पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि नाबालिग जमींदारों से जुड़े बड़ी संख्या में मामले विधायिका के संज्ञान में आए थे, जिसके कारण माफी दी गई थी।

धारा 32-एफ की उप-धारा (1 ए) में उल्लिखित योजना अधिनियमित की गई थी। हालाँकि, ड्राफ्ट्समैन द्वारा क्या भुला दिया गया था जब धारा 32-एफ (1) (ए) में यह तथ्य जोड़ा गया था कि धारा 32 एफ (1) (ए) ने मकान मालिकों की तीन श्रेणियों को संदर्भित किया था, न कि केवल एक को। 1969 के संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों ने इस प्रकार किरायेदारों को केवल छोटे जमींदारों के लिए राहत दी, न कि दूसरे के लिए।

दो श्रेणियाँ। जाहिर है, अन्य दो श्रेणियों के जमींदारों के किरायेदारों के विपरीत छोटे जमींदारों के किरायेदारों के पक्ष में किया गया वर्गीकरण एक ऐसा वर्गीकरण है जो प्रकृति में मनमाना है। इस मामले में, इस तरह के वर्गीकरण को आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में रद्द करना होगा। हालांकि, एल. आर. एस. द्वारा इस तरह के वसंत गणपत पदवे (डी) को खत्म करने के बजाय।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस।

समग्र रूप से वर्गीकरण, जो किया जा सकता है वह यह है कि ". इस तथ्य का कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है", इन शब्दों को हटा दिया जाए।

जिनमें से, धारा 32 में 1969 के संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया है

एफ (1) (ए) अब भेदभावपूर्ण नहीं रह गया है, क्योंकि यह सभी तीन श्रेणियों के मकान मालिकों के किरायेदारों पर लागू होता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 14 के अनुरूप धारा 32-एफ (1) (ए) को पढ़ने के लिए, ".....। [पैरा 39,40,44] [624-जी-एच; 627-ए-डी; 627-एच; 628 ए]

अप्पा नरसप्पा बनाम। अकुबाई गणपति (1999) 4 एस. सी. सी. 453

खारिज कर दिया।

तुकाराम मारुति चव्हाण बनाम। मारुति नारायण चव्हाण

(2008) 9 एससीसी 358: [2008] 13 एससीआर 508-आंशिक रूप से

खारिज कर दिया।

अन्ना भाऊ मगदुम बनाम। बाबासाहेब आनंदराव देसाई

(1995) 5 एससीसी 243: [1995] 2 पूरक। एस. सी. आर. 259; सुदाम इनपाट कुटवल बनाम। शेवंताबाई तुकाराम (2006) 7 एससीसी

200 : [2006] 4 पूरक। एससीआर 682-प्रतिष्ठित। हीरालाल पी. हरसोरा बनाम। कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा

(2016) 10 एस. सी. सी. 165 [2016] 9 एस. सी. आर. 515; सचिव, महात्मा गांधी मिशन बनाम। भारतीय कामगार सेना

(2017) 4 एससीसी 449; डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305: [1983] 2 एस. सी. आर. 165-निर्भर।

5. धारा 14 (1) (ए) के आधार पर प्रस्तुत किया गया कि चूंकि एक किरायेदार हर साल किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य है

31 मई से, किरायेदार यह जानने के लिए बाध्य है कि जिस व्यक्ति को वह किराया दे रहा है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसलिए, खंड के निर्माण में ज्ञान नहीं लाया जा सकता है।

32 - एफ को इस न्यायालय को हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। तत्काल मामले के तथ्यों पर, मकान मालकिन वास्तव में मुंबई में थी, जबकि किरायेदार मुंबई में था। रत्नागिरी। इसके अलावा, धारा 14 (1) (बी) यह स्पष्ट करती है कि यदि किरायेदार हर साल 31 मई से पहले किराया देने में विफल रहता है, तो

मकान मालिक को पहले किरायेदार को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देना चाहिए कि उसने किराए का भुगतान नहीं किया है, जिस अवधि के भीतर किरायेदार को उल्लंघन को सुधारने के लिए समय दिया जाता है। तथ्यों पर, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि ऐसा कोई नोटिस दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अन्य निवेदन है कि कृषि ग्रामीण दुनिया में हर कोई

हर किसी के बारे में जानता है और इसलिए, यह माना जा सकता है कि रत्नागिरी में एक ग्रामीण को अपने मकान मालिक की मृत्यु के बारे में पता चल जाएगा, इस मामले के तथ्यों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता है क्योंकि मकान मालिक मुंबई में रहता था और उसकी मृत्यु हो गई थी। 1956 में प्राप्त स्थिति के विपरीत आज प्राप्त होने वाली विपरीत स्थिति के बारे में दूसरी दलील, अर्थात्, यह किरायेदार हैं जो अब संपन्न हैं और जमींदार जो गरीब हैं, फिर से एक धारणा है।

जिसका इस मामले या कानून के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है इसे निर्धारित करने की आवश्यकता है। [पैरा 49] [629-जी-एच; 630-ए-सी]

6. उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। ए के रूप में

नतीजतन, किरायेदार द्वारा 2008 की खरीद की सूचना अब अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड पर ली जाएगी, जो अब कर सकते हैं

खरीद मूल्य और उसके भुगतान को निर्धारित करने के लिए अधिनियम के तहत आगे बढ़ना जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में किरायेदार का भूमि का स्वामित्व रखने का स्थगित अधिकार तब अस्तित्व में आ जाएगा। वैधानिक शर्तों को पूरा किया जा रहा है। [पैरा 50] [630-एफ-जी]

आर. एल. अरोड़ा बनाम भारत संघ [1964] 6 एस. सी. आर. 784; श्री. राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर. तेंदुलकर

[1959] एस. सी. आर. 279; विशेष न्यायालय विधेयक 1978

(1979) 1 एससीसी 380: [1979] 2 एससीआर 476; शायरा

बानो वी. भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 7

एस. सी. आर. 797; श्री राम राम नारायण मेधी बनाम। की स्थिति बॉम्बे एयर 1959 एससी 459: [1959] पूरक। एससीआर 489;

अमृत भीकाजी काले बनाम। काशीनाथ जनार्दन व्यापार

(1983) 3 एस. सी. सी. 437 [1983] 3 एस. सी. आर. 237 संदर्भित।

मामला

कानून संदर्भ

[1959] पूरक। एससीआर 459

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

[1983] 3 एससीआर 237

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1955] 2 एससीआर 457

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर 739

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1966] सप. एससीआर 473

संदर्भित किया गया है

पैरा 26

[1970] 2 एससीआर 10

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[1980] 2 एससीआर 268

संदर्भित किया गया है

पैरा 28 वसंत गणपत पदवे (डी) एल. आर. एस. द्वारा। वी. अन्नान महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस।

[1982] 1 एससीआर 629

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 711 को संदर्भित किया गया

पैरा 30

[1986] 2 एससीआर 927

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[1988] 3 एससीआर 384

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

[1991] 1 एससीआर 364

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1994] 2 एससीआर 247

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

(2000) 4 एससीसी 285

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[2002] 2 पूरक। एससीआर 324

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[1964] 6 एससीआर 784

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

[1959] एससीआर 279

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[1979] 2 एससीआर 476

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[2017] 7 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2016] 9 एससीआर 515

उस पर भरोसा करें

पैरा 42

(2017) 4 एस. सी. सी. 449

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[1983] 2 एससीआर 165

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[1995] 2 पूरक। एससीआर 259

प्रतिष्ठित

पैरा 44

(1999) 4 एससीसी 453

पैरा 46,

खारिज कर दिया गया

पैरा 47,

[2006] 4 पूरक। एससीआर 682

प्रतिष्ठित

[2008] 13 एससीआर 508

आंशिक रूप से अस्वीकृत

पैरा 48,

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

2018 से।

तारीख 01.08.2014 के निर्णय और आदेश से

बॉम्बे में न्यायिक न्यायालय की लिखित याचिका संख्या 10304

के साथ

सिविल अपील सं। 11775-11798 2018 से।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनिरुद्ध जोशी, श्रीमती शुभांगी तुली, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अजीत एस. भासमे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , पंकज कुमार मिश्रा, शशांक ग्ले, ए. भास्मे, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. एफ. नरीमन, जे.

1. इस मामले को इस न्यायालय की एक खंड पीठ के एक एड फैसले द्वारा तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया है, जिसे पदवे बनाम में वसंत के रूप में रिपोर्ट किया गया है। अनंत महादेव सावंत (2019) 2 एससीसी 788। विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक चींटी तथ्य जो रेफरल ऑर्डर के पैराग्राफ 3 से 5 में दिए गए हैं

वीएसः

" 3. एक बलवंत सावंत सर्वेक्षण सं. 92/2 का मकान मालिक था, जो नए सर्वेक्षण सं. 31 हिसा सं. 2/10 के अनुरूप था।

यानी 1-4-1957 से पहले। धारा 32-जी के तहत अपीलकर्ताओं को खरीदार घोषित करने की कार्यवाही मकान मालकिन श्रीमती इंदिराबाई बलवंत सावंत के जीवनकाल के दौरान शुरू की गई थी, लेकिन उत्परिवर्तन प्रविष्टि संख्या 1341 में दर्ज किया गया है कि चूंकि मकान मालकिन इंदिराबाई बलवंत सावंत विधवा हैं, इसलिए धारा 32-जी के तहत विचार की गई कार्यवाही निलंबित कर दी गई है। आई. डी. 1 पर, श्रीमती इंदिराबाई बलवंत सावंत ने प्रतिवादी 1, अनंत महादेव सावंत के पक्ष में अंतिम वसीयत और वसीयतनामा निष्पादित किया। श्रीमती इंदिराबाई बलवंत सावंत का निधन 7-5-1999 पर हुआ। उत्तरदाता 1 का नाम था 29-2-2000 पर राजस्व रिकॉर्ड में उत्परिवर्तित, जिसके संबंध में अपीलकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें इंदिराबाई की मृत्यु या पक्ष में उत्परिवर्तन के बारे में पता नहीं था

उत्तरदाता का 1.

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

4. वर्ष 2008 में, जब अपीलार्थियों को पता चला कि

मकान मालकिन की मृत्यु हो गई है और उसके स्थान पर प्रतिवादी 1 का नाम बदल दिया गया है, उन्होंने प्रतिवादी 2-अतिरिक्त तहसीलदार और ए. एल. टी. रत्नागिरी के समक्ष 5-9-2008 पर एक आवेदन दायर किया है। महाराष्ट्र किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (इसके बाद "1948 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 32-जी के तहत खरीद मूल्य तय करने के लिए महाराष्ट्र। प्रत्यर्थी 1 ने जवाब दाखिल किया और उक्त आवेदन का विरोध किया। प्रत्यर्थी 2 ने दिनांक 9-9-2011 के आदेश द्वारा अपीलार्थियों के आवेदन की अनुमति दी। प्रत्यर्थी 2 ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती 1956-1957 से पहले किरायेदार थे। अपीलार्थियों को खरीदार घोषित करने के लिए धारा 32-जी के तहत कार्यवाही उनके जीवनकाल के दौरान शुरू की गई थी।

मकान मालकिन और उन्हें मकान मालकिन के विधवा होने के जीवनकाल के दौरान 8-1-1964 पर निलंबित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी 2 ने खरीद मूल्य तय किया और अपीलार्थियों को इसे जमा करने का निर्देश दिया ताकि अपीलार्थियों के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। दिनांक 1 के आदेश के खिलाफ व्यथित, प्रतिवादी 1 ने प्रतिवादी के समक्ष 1948 अधिनियम की धारा 74 के तहत अपील दायर की

धारा 32-एफ के तहत निर्धारित समय के भीतर खरीद, जो नहीं दी गई है, आवेदकों को खरीद का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र राजस्व के फैसले से व्यथित न्यायाधिकरण, रिट याचिकाएं अपीलार्थियों और कई अन्य समान रूप से स्थित किरायेदारों द्वारा दायर की गई थीं। सभी रिट याचिकाओं को सामान्य निर्णय दिनांक 1-8-2014 [अर्जुन हरि [2019] 15 एस. सी. आर. द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4931] उच्च न्यायालय, जिसके फैसले के खिलाफ ये अपीलें दायर की गई हैं। 2. महाराष्ट्र के विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद

एन. सी. आई. और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित), जैसा कि संशोधित किया गया है, और अधिनियम की धारा 32-एफ के साथ विशेष रूप से न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद,

आयन बेंच ने तब कहाः

" 30. निरस्त किए गए निर्णयों के अनुपात को फिर से बताया जा सकता है

निम्नलिखित शब्दः

30.1 . टिलर्स डे यानी 1-4-1957 पर विकलांग मकान मालिक के लिए, मानी गई खरीद को निलंबित कर दिया जाएगा।

30.2 . अक्षमता से पीड़ित मकान मालिक को इसके तहत अधिकार है अधिनियम की धारा 31 (3) किरायेदारी की समाप्ति की सूचना देने और कब्जे के लिए आवेदन दायर करने के लिए है।

30.3 . धारा 31 (3) के तहत, एक नाबालिग, उस तारीख से एक साल के भीतर, जिस दिन वह बहुमत प्राप्त करता है; उस तारीख से एक साल के भीतर एक विधवा का उत्तराधिकारी, जिस दिन भूमि में उसका हित समाप्त हो जाता है; और मकान मालिक उस तारीख से एक साल के भीतर, जिस दिन उसकी मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त हो जाती है, कर सकता है।

किरायेदारी और कब्जे की समाप्ति के लिए भी आवेदन दें।

30.4 . धारा 32-एफ के तहत, किरायेदार को उस जगह को खरीदने का अधिकार है जहां मकान मालिक नाबालिग था या विधवा या मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति था। अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर शारीरिक अक्षमता

जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक किरायेदारी समाप्त करने का हकदार है।

30.5 . किरायेदार, यदि खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है धारा 32-एफ (1) (ए) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर, उसका

खरीदने का अधिकार खो जाएगा।

उनकी मृत्यु 7-5-1999 पर हुई और उसके एक साल के भीतर उनके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। इन-टाइटल ने धारा 31 (3) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया और उसके बाद एक साल के भीतर किरायेदार ने खरीद के लिए कोई सूचना नहीं दी है।

जैसा कि धारा 32-एफ द्वारा विचार किया गया है। जिस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है वह यह है कि क्या उपरोक्त तथ्यों में, उप-मंडल अधिकारी, राजस्व न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय एल. आर. एस. द्वारा अपने वासंत गणपत पदवे (डी) में सही थे।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह निष्कर्ष निकालना कि किरायेदार अर्थात अपीलार्थी का अधिकार खो गया है, उसने धारा के तहत विचार की गई अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर भूमि की खरीद के लिए कोई सूचना जारी नहीं की है।

31 (3) . 32. ऊपर उल्लिखित इस न्यायालय का अनुपात, विशेष रूप से

अप्पा नरसप्पा मगदुम [अप्पा] में इस न्यायालय के निर्णय

नरसप्पा मगदुम बनाम। अकुबाई गणपति निंबालकर, (1999) 4

एस. सी. सी. 443], सुदाम गणपत कुटवाल [सुदाम गणपत कुटवाल बनाम।

शेवंताबाई तुकाराम गुलुमकर (2006) 7 एस. सी. सी. 200] और

तुकाराम मारुति चव्हाण बनाम तुकाराम मारुति चव्हाण। मारुति

नारायण चव्हाण, (2008) 9 एस. सी. सी. 358], स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं

उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतिकरण कि

अपीलकर्ताओं ने खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है

धारा 32-एफ (1), जिसे धारा 32-एफ (1-ए) के साथ पढ़ा जाता है, निर्धारित समय के भीतर किरायेदार का खरीद का अधिकार खो जाता है। लेकिन मामले का एक पहलू है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और दो न्यायाधीशों द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों में इस पर विचार नहीं किया गया है -

इस न्यायालय की पीठों को हम इसके बाद नोटिस करेंगे। डिवीजन बेंच ने तब के बयान पर जोर दिया

1948 के अधिनियम के 1969 के संशोधन के कारण और घः

" 37. 1969 के अधिनियम 49 द्वारा जोड़ी गई धारा 32-एफ (1) (ए) में संशोधन

स्पष्ट रूप से मकान मालिक का एक मामला शामिल किया गया जो नाबालिग था और

बहुमत प्राप्त किया। एक नाबालिग मकान मालिक द्वारा सूचना, जिसने बहुमत प्राप्त कर लिया है, मकान मालिक का एक वैधानिक दायित्व बना दिया गया है ताकि किरायेदार अपने खरीद के अधिकार का प्रयोग कर सके। अन्य दो श्रेणियाँ जो एक विधवा या मानसिक या मानसिक विकारों के अधीन व्यक्ति हैं।

शारीरिक अक्षमता को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है

1969 के अधिनियम 49 द्वारा निगमित संशोधन। का वक्तव्य 1969 में दिए गए संशोधन के उद्देश्य और कारण भी

क्योंकि ऐसे संशोधन के स्पष्ट प्रावधान उन उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए हैं जो किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हैं। जब मकान मालिक की एक श्रेणी यानी नाबालिग के लिए यह अनिवार्य है कि वह किरायेदार को बहुमत प्राप्त करने के बाद सूचित करेगा ताकि

किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम किया जा सकता है, हम हैं

यह विचार कि एक ही वस्तु को दो अन्य में पढ़ा जाना चाहिए

मकान मालिक की श्रेणियाँ जो विधवा का उत्तराधिकारी होता है

और एक मकान मालिक जिसकी मानसिक या शारीरिक अक्षमता [2019] 15 एस. सी. आर. रही हो।

रुक गया। जब विधायी उद्देश्य खरीद के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अक्षमता की समाप्ति के बाद एक विकलांग मकान मालिक के किरायेदार को सुविधा प्रदान करना है, तो समान लाभ विकलांग मकान मालिक की अन्य दो श्रेणियों को भी दिया जाना चाहिए। हम विकलांग जमींदारों की तीन श्रेणियों में कोई अंतर नहीं पाते हैं और न ही नाबालिग मकान मालिक के किरायेदार को उपरोक्त दो अक्षमताओं से पीड़ित अन्य जमींदारों की तुलना में किसी भी उच्च स्तर पर रखा जा सकता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि संशोधन में केवल स्पष्ट रूप से मकान मालिक को शामिल किया गया है जिसने सूचना भेजने के लिए बहुमत प्राप्त कर लिया है और विधायिका ने जानबूझकर अन्य दो श्रेणियों को शामिल नहीं किया है।

मानसिक और शारीरिक अक्षमता की विधवा और मकान मालिक के हित में मकान मालिक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 1969 के अधिनियम 49 द्वारा किए गए उद्देश्य और कारण और स्पष्ट संशोधन का उद्देश्य किरायेदार को खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाना था।

उक्त विधायी आशय उन जमींदारों के सभी किरायेदारों तक विस्तारित किया जाना है जो टिलर दिवस पर विकलांगता से पीड़ित थे, चाहे वह विधवा का उत्तराधिकारी हो या एक मकान मालिक जिसका मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त हो जाती है। सभी तीन श्रेणियों के किरायेदारों को समान लाभ दिया जाना चाहिए और प्रावधान की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि सभी किरायेदारों को प्रभावी ढंग से और वास्तविक अर्थों में खरीद के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। 38. जैसा कि वर्तमान मामले में, किरायेदार का मामला यह है कि वह मकान मालकिन की मृत्यु से अनजान था क्योंकि पिछले कई वर्षों से वह बॉम्बे में रह रही थी, जो मृत्यु की जानकारी की तारीख थी।

मकान मालकिन के अधिकार को एक अप्रासंगिक कारक नहीं कहा जा सकता है और जब तक किरायेदार को मकान मालकिन की मृत्यु के बारे में या शारीरिक या मानसिक अक्षमता से पीड़ित मकान मालिक के मामले में जानकारी नहीं है, तब तक वह अपने खरीद के अधिकार का उपयोग कैसे करेगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। 1948 का अधिनियम और 1969 के अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन किरायेदारों को अपने अधिकार का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करने के इरादे से थे। 1957 के अधिनियम 15 द्वारा किए गए संशोधन कृषि सुधार थे जो मिट्टी के जोतने वालों को भूमि का मालिक बनाते थे जो मिट्टी के सभी जोतने वालों को भूमि का मालिक बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। जबकि

धारा 32-एफ (1-ए) के साथ-साथ धारा 31 (3), 1948 अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, संशोधन किए गए

इसमें समय-समय पर दृष्टि नहीं छोड़ी जा सकती है।

एक किरायेदार जिसका मकान मालिक एक विकलांगता से पीड़ित था टिलर्स डे, ऐसे किरायेदार द्वारा खरीद के अधिकार का प्रयोग एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी) द्वारा किया जाता है।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस तरह से व्याख्या की जाए ताकि सही के अभ्यास को सार्थक और प्रभावी बनाया जा सके। उपर्युक्त अधिकार को इस आधार पर पराजित नहीं किया जा सकता है कि इसका प्रयोग अवधि के भीतर नहीं किया गया था। यह तब निर्धारित किया जाता है जब किरायेदार इस बात से अनजान हो कि अवधि कब शुरू हुई है।

40. क्रय के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्धारित अवधि सीमा की अवधि नहीं है, बल्कि अधिकार के प्रयोग के लिए निर्धारित उचित अवधि है। किरायेदार द्वारा मकान मालिक की अक्षमता की समाप्ति की जानकारी केवल निर्धारित अवधि की शुरुआत हो सकती है।

41. जब कोई क़ानून किसी किरायेदार को अधिकार देता है, तो क़ानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिकार को व्यवहार्य बनाया जा सके। प्रभावी और सार्थक। इस तरह के अधिकार को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता है कि किरायेदार, यह जानने के बाद भी कि विकलांगता समाप्त हो गई है, निर्धारित अवधि के भीतर अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता है।

42. अप्पा नरसप्पा मगदुम [अप्पा नरसप्पा मगदुम बनाम। अकुबाई गणपति निंबालकर, (1999) 4 एस. सी. सी. 443] ने इस दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है कि किरायेदार को उनकी मृत्यु की कोई सूचना नहीं थी। मकान मालकिन। सुदाम गणपत कुटवाल में इस न्यायालय के आगे के निर्णय [सुदाम गणपत कुटवाल बनाम। शेवंताबाई तुकाराम गुलुमकर, (2006) 7 एस. सी. सी. 200] और तुकाराम मारुति चव्हाण [तुकाराम मारुति चव्हाण बनाम। मारुति नारायण चव्हाण, (2008) 9 एस. सी. सी. 358] ने भी यही अनुपात निर्धारित किया। उपरोक्त तीन मामलों में निर्णय दो न्यायाधीश पीठों द्वारा दिए गए थे, जिनमें 1969 के अधिनियम 49 द्वारा किए गए संशोधनों को न तो उठाया गया था और न ही उन पर विचार किया गया था। इस प्रकार हमारा विचार है कि उपरोक्त मामलों में निर्धारित अनुपात पर पुनर्विचार करने और उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समझाने की आवश्यकता है जिसके लिए

1969 के अधिनियम 49 द्वारा धारा 32-एफ (1) (ए) में संशोधन किए गए थे जैसा कि ऊपर देखा गया है। हम, इस प्रकार, एक बड़ी पीठ के विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उल्लेख करते हैं:

42.1 . (1) क्या 1969 के अधिनियम 49 द्वारा धारा 32-एफ (1) (ए) में किए गए संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य टिलर दिवस पर मकान मालिक के किरायेदार द्वारा खरीद के अधिकार के प्रयोग के लिए भी प्रासंगिक और लागू होता है जो विधवा थी या मानसिक और शारीरिक अक्षमता से पीड़ित थी?

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42.2 . (2) क्या विधवा के हित में उत्तराधिकारी भी किरायेदार को ब्याज की समाप्ति की सूचना भेजने के लिए बाध्य है। विधवा का ताकि किरायेदार अपने अधिकार का प्रयोग कर सके

42.3 . (3) यदि उपरोक्त प्रश्न (1) या (2) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या इस न्यायालय का निर्णय अप्पा में है। नरसप्पा मगदुम [अप्पा नरसप्पा मगदुम बनाम। अकुबाई

गणपति निंबालकर, (1999) 4 एस. सी. सी. 443], सुदाम गणपत

कुटवाल [सुदाम गणपत कुटवाल बनाम। शेवंताबाई तुकाराम

गुलुमकर, (2006) 7 एस. सी. सी. 200 और तुकाराम मारुति चव्हाण [तुकाराम मारुति चव्हाण बनाम। मारुति नारायण चव्हाण, (2008)

9 एस. सी. सी. 358] को पुनर्विचार और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। 43. एक बड़ी पीठ के गठन के लिए कागजातों को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि

पक्षकार यथास्थिति बनाए रखेंगे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध जोशी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत एस. भास्मे को सुना है।

उत्तरदाता। श्री जोशी ने बड़ी मेहनत से हमें 1948 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया और यह बताते हुए दुखी थे कि यह एक कृषि सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अधिनियमित एक सामाजिक कल्याण कानून था और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 ए के अंतर्गत आता था। उन्होंने विशेष रूप से इस पर बहुत जोर दिया कि

1956 और 1969 के संशोधन अधिनियम। पहले उल्लिखित संशोधन अधिनियम द्वारा, वैधानिक योजना एक अनुपस्थित जमींदार को उसके अधिकार से वंचित करना और सीधे कृषि भूमि के खेती करने वाले किरायेदार को अधिकार सौंपना था। मकान मालिक को अपनी भूमि को फिर से शुरू करने के लिए कहने का केवल एक सीमित अधिकार दिया गया था, बशर्ते कि कुछ बहुत ही सख्त शर्तों को पूरा किया गया हो, बशर्ते कि ऐसा आवेदन टिलर दिवस यानी 1 अप्रैल, 1957 को या उससे पहले किया गया हो। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों की तीन श्रेणियों के मामले में, अर्थात्,

विधवाओं, नाबालिगों और विकलांग व्यक्तियों, खेती करने वाले किरायेदार के मालिक बनने के अधिकार को केवल स्थगित कर दिया गया था, और धारा 32-एफ को संकीर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि खेती करने वाले किरायेदार के खरीद के वैधानिक अधिकार में हस्तक्षेप न हो। 1969 का संशोधन किया गया

यह स्पष्ट है, लेकिन केवल तीन श्रेणियों में से एक, अर्थात् नाबालिगों तक सीमित था। उनके अनुसार, इसलिए, 1956 के संशोधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यह स्पष्ट है कि क्या खेती करने वाला किरायेदार एक ओर नाबालिग के तहत किरायेदार है, या दूसरी ओर एक विधवा या विकलांग व्यक्ति को एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

तथ्य यह है कि एक बार मकान मालिक की अक्षमता समाप्त होने के बाद, किरायेदार को पहले यह पता होना चाहिए कि ऐसी अक्षमता समाप्त हो गई है, इससे पहले कि वह निर्धारित अवधि के भीतर उसे दिए गए वैधानिक अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग कर सके। उनके अनुसार, इस न्यायालय के सभी खंड पीठ के निर्णय, जिनमें कहा गया है कि इस तरह का ज्ञान महत्वहीन है, कानून में गलत हैं और इन्हें रद्द करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अधिनियम की धारा 32-एफ का इस तरह से अर्थ लगाते हैं तो एक स्पष्ट रूप से बेतुका परिणाम प्राप्त होगा। उनके अनुसार, एक वर्ष जिसके भीतर खेती करने वाला किरायेदार अपना काम कर सकता है।

खरीद का वैधानिक अधिकार केवल विकलांगता की अवधि समाप्त होने के बाद है, उदाहरण के लिए, विधवा की मृत्यु हो गई है और उसकी मृत्यु की तारीख से एक वर्ष बीत गया है जिसके भीतर उसने भूमि को फिर से शुरू करने के किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। यदि इस न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय सही हैं, तो चूंकि इस तिथि से एक वर्ष की अवधि भी इस कारण से बीत चुकी है कि किरायेदार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी

केवल इसलिए कि खेती करने वाले किरायेदार को किसी ऐसे तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो विशेष रूप से मकान मालिक के अधिकार क्षेत्र में था। उनके अनुसार, इसलिए, व्याख्या के सुनहरे नियम को लागू करते हुए, यदि धारा 32-एफ के शाब्दिक पठन से यह बेतुका परिणाम मिलता है, तो कानून के दुभाषियों के रूप में हमारे लिए ऐसे शब्दों को जोड़ना या घटाना संभव है जो इस बेतुकेपन को हटा दें, जो कि केवल एक वर्ष की अवधि की गिनती हो सकती है, जहां तक खेती करने वाले किरायेदार का संबंध है,

विधवा की मृत्यु का ज्ञान। उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में कई निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में, यदि धारा 32-एफ का शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा क्योंकि यह खेती करने वाले किरायेदारों के बीच भेदभाव करेगा जो समान रूप से स्थित हैं।

अर्थात्, जिन किरायेदारों का मालिक बनने का वैधानिक अधिकार है, उन्हें मकान मालिक की अक्षमता के कारण स्थगित कर दिया गया है। जबकि नाबालिगों के मामले में, मकान मालिक उस तारीख की किरायेदार को सूचित करने के लिए बाध्य है जिस दिन ऐसा नाबालिग बहुमत प्राप्त करता है, ताकि वह अपने वैधानिक अधिकार का सार्थक तरीके से प्रयोग कर सके, विधवा के उत्तराधिकारियों पर किरायेदार को विधवा की मृत्यु के बारे में सूचित करने का ऐसा कोई दायित्व नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति जो समान रूप से अपने वैधानिक अधिकार [2019] 15 एस. सी. आर. से वंचित हैं।

उनका कोई दोष नहीं है, और 1956 के संशोधन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के विपरीत। 4. दूसरी ओर, श्री अजीत भासमे ने हमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया और तर्क दिया कि एक खेती करने वाले किरायेदार द्वारा किराया

हर साल कम से कम 31 मई तक सालाना भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिससे खेती करने वाले किरायेदार को यह पता चल सके कि उसकी मकान मालकिन विधवा की मृत्यु हो गई है, क्योंकि अन्यथा किसी मृत व्यक्ति को दिया गया किराया ऐसे व्यक्ति के खाते में जमा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अदालत से एक भावनात्मक अपील भी की कि इन सभी मामलों में, अधिकांश जमींदार और किरायेदार ग्रामीण थे, जिन्हें निश्चित रूप से भारतीय ग्रामीण समाज को देखते हुए एक विधवा की मृत्यु के बारे में मौखिक रूप से पता चल जाएगा। कानून के बारे में उन्होंने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच के फैसले सही थे। धारा 32-एफ में एक गैर-बाध्यकारी खंड है, जिसे पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, विधायिका स्वतंत्र है

हानि के स्तर को पहचानें और इसलिए, सुरक्षा के लिए तीन वर्गों में से एक वर्ग को चुन सकते हैं, जहां सबसे अधिक आवश्यकता महसूस की जाती है। उन्होंने 1969 के संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का उल्लेख किया और तर्क दिया कि विधायिका इस तथ्य से अवगत थी कि नाबालिगों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले उनके संज्ञान में आए थे, यही कारण है कि विधायिका ने नाबालिग जमींदारों के संबंध में धारा की कठोरता को कम किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समय और जलवायु बदल गई थी, और कल का गरीब किरायेदार आज का अमीर किरायेदार है, जबकि गरीब जमींदार अभी भी ऐसा ही है। उनके अनुसार, वैधानिक व्याख्या का शाब्दिक नियम लागू होना चाहिए, और हमारे लिए शब्दों को जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। धारा 32-एफ जब अर्थ स्पष्ट और असंदिग्ध हो। इसके बाद उन्होंने श्री जोशी द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों पर चर्चा की और उनमें अंतर करने का प्रयास किया।

5. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, पहले 1948 अधिनियम की योजना का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है। धारा 2 (6) का उल्लेख है -

व्यक्ति जो व्यक्तिगत रूप से खेती करते हैं। व्याख्या-I महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया हैः

" 2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि कुछ भी अप्रिय न हो

विषय या संदर्भ में,

XXX XXX XXX

(6) " व्यक्तिगत रूप से खेती करना "। स्पष्टीकरण I-एल. आर. एस. द्वारा एक विधवा या नाबालिग, या एक व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के अधीन है, या सशस्त्र वासंत गणपत पदवे (डी) का एक सेवारत सदस्य।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बलों को व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने वाला माना जाएगा यदि ऐसा है

भूमि की खेती नौकरों द्वारा, या किराए पर लिए गए श्रमिकों द्वारा, या उनके माध्यम से की जाती है।

किरायेदार "।

स्पष्टीकरण I में निहित डीमिंग प्रावधान यह स्पष्ट करता है

कि उल्लिखित चार श्रेणियों को कृषि भूमि माना जाता है

व्यक्तिगत रूप से भले ही ऐसी भूमि पर किरायेदारों के माध्यम से खेती की जाए।

6. धारा 2 (8) के तहत, "भूमि" को कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 2 (18) के तहत, "किरायेदार" में शामिल हैं

व्यक्तियों की तीन श्रेणियाँ-धारा 4 के तहत मानित किरायेदार, संरक्षित किरायेदार और स्थायी किरायेदार, जैसा कि परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत, एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी भूमि पर कानूनी रूप से खेती करता है, उसे किरायेदार माना जाएगा यदि ऐसी भूमि की खेती मालिक या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा या किसी नौकर द्वारा व्यक्तिगत रूप से नकद या वस्तु के रूप में देय मजदूरी पर या कब्जे में किसी बंधक द्वारा नहीं की जाती है। धारा 4-बी के तहत किरायेदारों को केवल इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है कि एक समझौते द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है। धारा 31 महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

" 31. मकान मालिक का व्यक्तिगत किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार

खेती और गैर-कृषि उद्देश्य।

(1) धारा 14 और 30 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन धारा 31-ए से 31-डी (दोनों सहित) के अधीन, एक मकान मालिक (के अर्थ के भीतर एक मकान मालिक नहीं है)

अध्याय III-ए. ए.), उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार, नोटिस देने और कब्जे के लिए आवेदन करने के बाद, किसी भी भूमि की किरायेदारी (स्थायी किरायेदारी को छोड़कर) को समाप्त कर सकता है, यदि मकान मालिक प्रामाणिक रूप से आवश्यकता करता है।

निम्नलिखित में से किसी भी उद्देश्य के लिए भूमिः

(क) व्यक्तिगत रूप से खेती करने के लिए, या

(ख) किसी भी गैर-कृषि उद्देश्य के लिए।

(2) उप-धारा (1) के तहत दी जाने वाली सूचना लिखित में होगी, जिसमें उस उद्देश्य का उल्लेख होगा जिसके लिए मकान मालिक को भूमि की आवश्यकता है और जिसे किरायेदार को 31 दिसंबर, 1956 को या उससे पहले पूरा किया जाएगा। ऐसी सूचना की एक प्रति, उसी समय, मामलातदार को भेजी जाएगी। अधीन अधिकार के लिए आवेदन

धारा 29 मामलातदार को उस दिन या उससे पहले दी जाएगी।

31 मार्च, 1957 का दिन।

(3) जहाँ मकान मालिक नाबालिग हो, या विधवा हो, या कोई व्यक्ति हो

मानसिक या शारीरिक अक्षमता के अधीन होने पर ऐसी सूचना दी जा सकती है और इसके तहत कब्जे के लिए आवेदन किया जा सकता है।

धारा 29 बनाई जा सकती है,

((i) नाबालिग द्वारा बहुमत प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर;

((ii) एक वर्ष के भीतर विधवा के उत्तराधिकारी द्वारा

जिस तारीख से भूमि में उसका हित है अस्तित्व में नहीं है;

((ग) मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर; और

(iv) * * *

भूमि का, उस व्यक्ति के हिस्से के समान अनुपात में पूरे संयुक्त परिवार की संपत्ति, और एक बड़े अनुपात में नहीं।

7. धारा 31-ए के तहत, एक मकान मालिक का भूमि पर व्यक्तिगत रूप से खेती करने के लिए किरायेदारी को समाप्त करने का अधिकार निम्न के अधीन है -

बहुत सख्त शर्तें। वह पट्टे पर दी गई भूमि पर कब्जा कर सकता है।

पट्टे पर दी गई भूमि के आधे क्षेत्र तक ही इसे समाप्त किया जा सकता है। किरायेदार के लिए और अधिक नहीं। धारा 32 वह धारा है जिसके द्वारा कृषि सुधार, जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, वास्तव में प्राप्त किया जाता है। यह खंड महत्वपूर्ण है और नीचे दिया गया है:

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 32. माना जाता है कि किरायेदारों ने जुताई के दिन जमीन खरीदी थी

(1) अप्रैल 1957 के पहले दिन (जिसे इसके बाद "किसान दिवस" के रूप में संदर्भित किया गया है) प्रत्येक किरायेदार, इस धारा के अन्य प्रावधानों और अगली उत्तरवर्ती धाराओं के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अपने मकान मालिक से उक्त दिन उस पर मौजूद सभी बोझों से मुक्त, किरायेदार के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि,

अगर -

(क) ऐसा किरायेदार उसका स्थायी किरायेदार है और

व्यक्तिगत रूप से भूमि की खेती करता है;

(ख) ऐसा किरायेदार स्थायी किरायेदार नहीं है, बल्कि खेती करता है।

व्यक्तिगत रूप से पट्टे पर दी गई भूमि; और

(i) मकान मालिक ने अपनी समाप्ति की सूचना नहीं दी है।

धारा 31 के तहत किरायेदारी; या

(ii) धारा 31 के तहत नोटिस दिया गया है, लेकिन मकान मालिक ने प्राप्त करने के लिए धारा 29 के तहत 31 मार्च, 1957 को या उससे पहले मामलातदार को आवेदन नहीं किया है।

भूमि का अधिकार; या

(iii) मकान मालिक ने धारा 14 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर इस किरायेदारी को समाप्त नहीं किया है, या इस तरह किरायेदारी को समाप्त कर दिया है, लेकिन भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 29 के तहत 31 मार्च, 1957 को या उससे पहले मामलातदार को आवेदन नहीं किया हैः

बशर्ते कि यदि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 29 के तहत मकान मालिक द्वारा किए गए आवेदन को मामलातदार द्वारा या कलेक्टर द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण द्वारा अपील या संशोधन में खारिज कर दिया गया है, तो यह माना जाएगा कि किरायेदार ने उस तारीख को भूमि खरीदी थी जिस दिन अस्वीकृति का अंतिम आदेश पारित किया गया था। जिस तारीख को अस्वीकृति का अंतिम आदेश पारित किया जाता है, उसे इसके बाद "स्थगित तिथि" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

बशर्ते कि किसी मकान मालिक का किरायेदार जो धारा 31 की उप-धारा (3) के परंतुक का लाभ पाने का हकदार है, यह समझा जाएगा कि उसने 1 अप्रैल 1958 को भूमि खरीदी है, यदि उस परंतुक में उल्लिखित तिथि से पहले उसके हिस्से का कोई विभाजन नहीं किया गया है।

(1 ए) (ए) जहां एक किरायेदार, अपने निष्कासन के कारण

महाराष्ट्र राजस्व न्यायाधिकरण, यह माना जाएगा कि उसने उस तारीख को भूमि खरीदी थी जिस दिन आवेदन की अनुमति देने वाला अंतिम आदेश पारित किया गया था। (ख) जहां ऐसे किरायेदार ने आवेदन नहीं किया है,

धारा 29 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कब्जा या उसके द्वारा किए गए आवेदन को इस अधिनियम के तहत अंततः खारिज कर दिया जाता है, और भूमि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति पर या आवेदन की अंतिम अस्वीकृति की तारीख को किरायेदार के रूप में धारण की जाती है, ऐसे अन्य व्यक्ति को ऐसा माना जाएगा कि

उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को या आवेदन की अंतिम अस्वीकृति की तारीख को भूमि का क्रय किया गया। (1 ख) जहां एक किरायेदार जो नियत दिन पर कब्जे में था और जिसे धारा 29 में दिए गए तरीके और आदेश के अलावा 1 अप्रैल 1957 से पहले बेदखल कर दिया गया था, वह उक्त तिथि को भूमि के कब्जे में नहीं है और भूमि निम्नलिखित में है -

31 जुलाई, 1969 को मकान मालिक या उसके उत्तराधिकारी का 31 जुलाई, 1969 को ब्याज में कब्जा और अंतिम उल्लिखित तिथि को या उससे पहले भूमि का गैर-कृषि उपयोग नहीं किया जाता है, तो तहसीलदार, उक्त धारा 29 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, या तो स्वतः या किरायेदार के आवेदन पर, एक जांच करेगा और निर्देश देगा कि ऐसी भूमि मकान मालिक के कब्जे से या, जैसा भी मामला हो, उसके उत्तराधिकारी के ब्याज में ली जाएगी और किरायेदार को बहाल कर दी जाएगी और उसके बाद, इस धारा और धारा 32-ए से 32-आर (दोनों सहित) के प्रावधान, इस प्रकार करेंगे।

जहां तक वे लागू हों, उस पर इस संशोधन के अधीन रहते हुए लागू करें कि यह समझा जाएगा कि किरायेदार ने उस तारीख को भूमि खरीदी थी जिस दिन उसे भूमि बहाल की गई थी।

बशर्ते कि, किरायेदार इस उप-धारा के तहत भूमि की बहाली का हकदार केवल तभी होगा जब वह एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) की खेती करने का उपक्रम करता है।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मालिक या किरायेदार के रूप में उसके द्वारा धारित अन्य भूमि के साथ व्यक्तिगत रूप से और उसकी इतनी भूमि अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-इस उप-धारा में, "उत्तराधिकारी-ब्याज" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो वसीयती स्वभाव से ब्याज प्राप्त करता है। या मृत्यु पर हस्तांतरण "।

धारा 32-एफ वह धारा है जो वर्तमान मामले में निर्माण के लिए आती है और नीचे पूरी तरह से निर्धारित की गई है:

" 32 - एफ. जहां मकान मालिक नाबालिग है, उसे खरीदने का किरायेदार का अधिकार,

(1) पूर्ववर्ती में कुछ भी निहित होने के बावजूद अनुभाग,

(क) जहाँ मकान मालिक नाबालिग है, या विधवा है, या कोई व्यक्ति है।

किसी भी मानसिक या शारीरिक अक्षमता के अधीन, किरायेदार को उस अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर धारा 32 के तहत ऐसी भूमि खरीदने का अधिकार होगा, जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक किरायेदारी समाप्त करने का हकदार है।

धारा 31 के तहत और किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, मकान मालिक एक

किरायेदार को इस तथ्य की सूचना कि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है।

बशर्ते कि जहां ऐसी श्रेणी का कोई व्यक्ति एक है एक संयुक्त परिवार के सदस्य, इस उप के प्रावधान

जांच से संतुष्ट होता है कि ऐसे व्यक्ति का हिस्सा भूमि के क्षेत्रफल, मूल्यांकन, वर्गीकरण और मूल्य को ध्यान में रखते हुए भूमि को अलग किया जाता है।

पूरे जोड़ में उस व्यक्ति के हिस्से के रूप में अनुपात

पारिवारिक संपत्ति और अधिक अनुपात में नहीं।

(ख) जहाँ किरायेदार नाबालिग है, या विधवा है, या कोई व्यक्ति है।

किसी भी मानसिक या शारीरिक अक्षमता या सशस्त्र बलों के सेवारत सदस्य के अधीन, फिर के अधीन

खंड (ए) के प्रावधानों के तहत भूमि खरीदने का अधिकार

धारा 32 का प्रयोग किया जा सकता है -

(i) नाबालिग द्वारा एक वर्ष के भीतर, उस तारीख से

जिसे वह बहुमत प्राप्त करता है;

((ii) विधवा के उत्तराधिकारी द्वारा भूमि में उसके हित की तारीख से एक वर्ष के भीतर

अस्तित्व में नहीं है;

((ग) उस तारीख से एक वर्ष के भीतर जिस दिन किरायेदार की मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त हो जाती है;

((iv) उस तारीख से एक वर्ष के भीतर जब किरायेदार सशस्त्र बलों का सेवारत सदस्य नहीं रह जाता हैः

बशर्ते कि जहां ऐसी श्रेणी का कोई व्यक्ति सदस्य हो

मेट्स और बाउंड्री द्वारा अलग किया जाता है और जाँच करने पर मामलातदार का समाधान होता है कि भूमि में ऐसे व्यक्ति के हिस्से को, भूमि के क्षेत्र, मूल्यांकन, वर्गीकरण और मूल्य को ध्यान में रखते हुए, उसी अनुपात में अलग किया जाता है जिसमें भूमि में उस व्यक्ति के हिस्से को अलग किया जाता है। पूरे संयुक्त परिवार की संपत्ति, और एक बड़े अनुपात में नहीं।

(1 - क) उप-धारा (1) के तहत उसे प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक किरायेदार उस उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से मकान मालिक और न्यायाधिकरण को इस संबंध में एक सूचना देगाः

बशर्ते कि, यदि कोई किरायेदार किसी मकान मालिक से भूमि धारण करता है (जो नाबालिग था और जिसने शुरू होने से पहले बहुमत प्राप्त कर लिया हो)

किरायेदारी और कृषि भूमि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1969) ने इस उप-धारा द्वारा आवश्यक सूचना नहीं दी है, लेकिन इस तरह के प्रारंभ पर भूमि का कब्जा होना है उप-धारा (1) के तहत उसे प्रदान किए गए अधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक, वह उस अधिनियम के प्रारंभ से दो साल की अवधि के भीतर ऐसी सूचना दे सकता है।

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2) धारा 32 से 32-ई (दोनों समावेशी) के प्रावधान और

धारा 32-जी से 32-आर (दोनों सहित), जहाँ तक हो सके,

लागू, ऐसी खरीद पर लागू करें "

8. धारा 32-जी भी महत्वपूर्ण है, इसमें, यह सूचित करने के बाद ही है कि किरायेदार द्वारा भूमि की कीमत का भुगतान किया जाना है

इसके बाद मकान मालिक का निर्धारण किया जाता है। इसके प्रासंगिक उप-खंड

निम्नलिखित राज्यों के बारे में:

" 32 जी. न्यायाधिकरण नोटिस जारी करेगा और भूमि की कीमत निर्धारित करेगा किरायेदारों द्वारा भुगतान किया जाना।

(1) जुताई दिवस के तुरंत बाद न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक गाँव में निर्धारित प्रपत्र में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा या प्रकाशित कराएगा, जिसमें कहा जाएगा:

(क) सभी किरायेदार जिन्हें धारा 32 के तहत माना जाता है

जमीनों को खरीदा,

((ख) ऐसी भूमि के सभी जमींदार, और

(ग) उसमें रुचि रखने वाले अन्य सभी व्यक्ति,

नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होना। न्यायाधिकरण व्यक्तिगत रूप से एक नोटिस जारी करेगा।
प्रत्येक ऐसे किरायेदार, मकान मालिक और साथ ही, जहां तक संभव हो, अन्य व्यक्ति जो उनमें से प्रत्येक को सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाता है।

(2) न्यायाधिकरण निर्धारित तरीके से दर्ज करेगा -

किरायेदार का बयान कि वह इच्छुक है या नहीं

उसके द्वारा किरायेदार के रूप में रखी गई भूमि को खरीदने के लिए।

(3) जहां कोई किरायेदार उपस्थित होने में विफल रहता है या यह बयान देता है कि वह भूमि खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो न्यायाधिकरण एक लिखित आदेश द्वारा घोषणा करेगा कि ऐसा किरायेदार भूमि खरीदने के लिए तैयार नहीं है और खरीद अप्रभावी है:

बशर्ते कि यदि ऐसा आदेश किसी पक्ष की उपस्थिति की चूक में पारित किया जाता है, तो न्यायाधिकरण ऐसे आदेश को पक्षों को सूचित करेगा और कोई भी पक्ष जिसके चूक पर आदेश पारित किया

गया था, उस तारीख से 60 दिनों के भीतर जिसकी तारीख को आदेश उसे सूचित किया गया था, उसी की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XXX XXX XXX

(5) एक किरायेदार के मामले में जिसे माना जाता है

स्थगित तिथि पर भूमि का क्रय न्यायाधिकरण, ऐसी तिथि के बाद जितनी जल्दी हो सके, निर्धारित करेगा -

जमीन की कीमत।

9. धारा 32-एम के तहत, एक किरायेदार द्वारा खरीद खरीद मूल्य का भुगतान करने में उसकी विफलता पर अप्रभावी है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि तब अप्रभावी होगी।

धारा 32-पी में निर्धारित तरीके से निपटाने के लिए न्यायाधिकरण के निपटान में हो। धारा 32-0 के तहत, टिलर दिवस के बाद बनाए गए किसी भी किरायेदारी के संबंध में, व्यक्तिगत रूप से खेती करने वाला ऐसा किरायेदार, ऐसी किरायेदारी शुरू होने के एक साल के भीतर, मकान मालिक से उस सीमा तक भूमि खरीदने का हकदार होगा जो उसके पास अनुमत अधिकतम सीमा क्षेत्र तक है। यह केवल तभी किया जा सकता है जब किरायेदार निर्धारित अवधि के भीतर मकान मालिक और न्यायाधिकरण को उस ओर से सूचना देता है। धारा 32-पी भी महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

" 32 पी. भूमि को फिर से शुरू करने और निपटाने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति नहीं

किरायेदार द्वारा खरीदा गया। -

(1) जहां धारा 32 के तहत किरायेदार द्वारा किसी भी भूमि की खरीद धारा 32-जी या 32-एम के तहत अप्रभावी हो जाती है या जहां कोई किरायेदार धारा 32 एफ, 320,33 सी या 43-1 डी के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने द्वारा धारित भूमि खरीदने के अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो न्यायाधिकरण स्वतः संज्ञान ले सकता है या इस संबंध में किए गए आवेदन पर उन मामलों के अलावा भूमि ले सकता है जिनमें धारा 32-जी या 32-एम के कारण खरीद अप्रभावी हो गई है।

उप-धारा (2) में उपबंधित तरीके से निपटाया गया।

(2) ऐसा निर्देश प्रदान करेगा -

(क) कि पूर्व किरायेदार को संक्षेप में बेदखल किया जाए;

(ख) कि भूमि, धारा 15 के प्रावधानों के अधीन, पूर्व मकान मालिक को सौंप दी जाएगी;

(ग) यदि धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार पूरी भूमि या उसके किसी हिस्से का समर्पण नहीं किया जा सकता है, तो पूरी भूमि या उसका ऐसा हिस्सा, जो भी मामला हो, एक टुकड़ा होने के बावजूद, किसी भी व्यक्ति को बिक्री द्वारा निपटाया जाएगा।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में (इसके बाद "प्राथमिकता सूची" कहा जाता है):

((i) एक सहकारी कृषि समिति जिसके सदस्य खेतिहर मजदूर, भूमिहीन व्यक्ति या छोटे धारक या ऐसे व्यक्तियों का एक समूह हो।

((ख) खेतिहर मजदूर।

((ग) भूमिहीन व्यक्ति;

((iv) छोटे धारक;

(v) कृषकों (छोटे धारकों के अलावा) का एक सहकारी कृषि समाज जो या तो मालिक या किरायेदार के रूप में या आंशिक रूप से मालिक के रूप में और आंशिक रूप से किरायेदार के रूप में, एक आर्थिक जोत से अधिक क्षेत्र में भूमिहीन है और जो

एक कारीगर है;

(vi) एक कृषक (एक छोटे धारक के अलावा) जो मालिक या किरायेदार के रूप में आंशिक रूप से मालिक के रूप में और आंशिक रूप से किरायेदार के रूप में भूमिहीन है।

धारक और जो कारीगर हैं;

((vii) कोई अन्य सहकारी कृषि समिति;

((viii) कोई भी कृषक जो या तो मालिक या किरायेदार के रूप में या आंशिक रूप से मालिक के रूप में और आंशिक रूप से किरायेदार के रूप में भूमि रखता है जो एक आर्थिक जोत से अधिक क्षेत्र में है लेकिन क्षेत्र में कम है।

छत क्षेत्र की तुलना में;

(ix) कोई भी व्यक्ति, जो कृषक नहीं है, जो इरादा रखता है।

कृषि के पेशे को अपनानाः

बशर्ते कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के संबंध में देता है जो वह दे सकता है।

निर्दिष्ट करें, उपरोक्त क्रम में ऐसी प्राथमिकता जो वह किसी के लिए उपयुक्त समझती है

वर्ग या व्यक्ति जो अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण

द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित किसी भी विकास परियोजना के लिए

राज्य सरकार विस्थापित हो गई है और इसे फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है तय हो गया "।

10. श्री राम नारायण मेधी बनाम। बॉम्बे एयर का राज्य

एससी 459, किरायेदारी और कृषि के लिए 1956 का संशोधन

एस अधिनियम विचार के लिए आया। दिए गए तर्कों में से एक यह था कि टिलर्स पर मकान मालिक के अधिकार को वैधानिक रूप से समाप्त नहीं किया गया था।

उक्त अधिनियम अनुच्छेद 31 ए द्वारा संरक्षित नहीं था। यह तर्क

अभिग्रहीत धारणः

या मकान मालिक और किरायेदार के बीच इसकी बिक्री। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किरायेदार को एक अधिकार दिया जाता है और यह घोषणा करने का विकल्प दिया जाता है कि वह किरायेदार के रूप में उसके पास मौजूद भूमि को खरीदने के लिए तैयार है या नहीं। यदि वह उपस्थित होने में विफल रहता है या यह बयान देता है कि वह भूमि खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो न्यायाधिकरण एक लिखित आदेश द्वारा घोषणा करेगा कि ऐसा किरायेदार भूमि खरीदने के लिए तैयार नहीं है और खरीद अप्रभावी है। न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह की घोषणा से ही खरीद अप्रभावी हो जाती है। यदि न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाती है तो खरीद जोतने वाले के दिन वैधानिक रूप से प्रभावी होगी और जारी रहेगी। परिचालन, किरायेदार पर एकमात्र दायित्व तब न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मोड में मूल्य का भुगतान है। यदि किरायेदार न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित एकमुश्त या किश्तों में ऐसी कीमत के भुगतान में चूक करता है, तो धारा 32-एम खरीद को अप्रभावी घोषित करती है, लेकिन उस स्थिति में भूमि कलेक्टर के निपटान के लिए कलेक्टर के निपटान में होगी। यहाँ भी खरीद टिलर के दिन से प्रभावी बनी हुई है जब तक कि इस तरह की चूक नहीं हो जाती है और सशर्त खरीद का कोई सवाल ही नहीं है।

या मकान मालिक और किरायेदार के बीच हो रही बिक्री। भूमि का अधिकार जो मूल रूप से मकान मालिक में निहित था, जोतने वाले के दिन या उस ओर से निर्धारित वैकल्पिक अवधि पर किरायेदार को जाता है। यह अधिकार केवल किरायेदार के उपस्थित होने या यह बयान देने में विफल रहने की स्थिति में रद्द किया जा सकता है कि वह भूमि खरीदने के लिए तैयार नहीं है या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य के भुगतान में चूक कर रहा है। किरायेदार को भूमि में एक निहित हित प्राप्त होता है जो केवल उन मामलों में से किसी एक में विनिवेश योग्य होता है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि मकान मालिक का शीर्षक

भूमि को किसी भी निश्चित या अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। यदि ऐसा है, तो एल. आर. एस. द्वारा एक अग्निशामक या किसी भी घटना में एक संशोधन वासंत गणपत पदवे (डी) है।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

के अर्थ के भीतर संपत्ति में मकान मालिक के अधिकार का

वे शब्द जिनका अनुच्छेद 31-ए (1) (ए) में उपयोग किया गया है।

11. महत्वपूर्ण रूप से, निर्णय में भूमि खरीदने के अधिकार का भी उल्लेख किया गया है जहां मकान मालिक नाबालिग है या विधवा है या मानसिक या शारीरिक अक्षमता के अधीन है, और न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार को अक्षमता की समाप्ति के बाद एक वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

12. इस निर्णय का पालन अमृत भीकाजी काले बनाम में किया गया था।

इनथ जनार्दन ट्रेड (1983) 3 एस. सी. सी. 437, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 6. किरायेदारी अधिनियम में व्यापक संशोधन किया गया था

1957 का अधिनियम 15 का संशोधन। एक में लाया गया संशोधन

कृषि सुधारों का क्रांतिकारी उपाय भूमि के मालिक को मिट्टी दें। यह मिट्टी के जोतने वालों और राज्य के बीच सभी मध्यस्थों को हटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। धारा 32 में यह प्रावधान है कि केवल कानून के संचालन से, प्रत्येक

जिस क्षेत्र में अधिनियम लागू होता है, वहां स्थित कृषि भूमि का किरायेदार कानून के संचालन से उसका मालिक बन जाएगा। उसे बिना किसी और चीज़ के एक मानित खरीदार घोषित किया जाता है। श्री राम राम नारायण मेधी बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। बॉम्बे राज्य [1959 पूरक 1 एस. सी. आर. 489,518

19 : ए. आई. आर 1959 एस. सी 459: 1959 एससीजे 679] ने अभिनिर्धारित किया किः

" भूमि के लिए मकान मालिक का अधिकार तुरंत पास हो जाता है

जोतने वाले के दिन किरायेदार और मकान मालिक और किरायेदार के बीच एक पूर्ण खरीद या बिक्री होती है। भूमि का अधिकार जो मूल रूप से मकान मालिक में निहित था, जोतने वाले के दिन किरायेदार को जाता है और यह अधिकार केवल किरायेदार के उपस्थित होने या यह बयान देने में विफल रहने की स्थिति में रद्द किया जा सकता है कि वह भूमि खरीदने के लिए तैयार नहीं है या न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य के भुगतान में चूक करता है।

इसलिए, यह निर्विवाद रूप से स्थापित है कि जोतने वालों के दिन,

भूमि में मकान मालिक का हित समाप्त हो जाता है और साथ ही पक्षों द्वारा बिना किसी और चीज़ के एक वैधानिक बिक्री द्वारा, मकान मालिक का समाप्त अधिकार किरायेदार में जलाया या बनाया जाता है। उसी क्षण मकान मालिक-किरायेदार का रिश्ता

सामान्य कानून या संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में समझा जाता है

एक अंत तक। कड़ी और चेन टूट गई है। गैरहाजिर गैर

खेती करने वाले मकान मालिक के पास भूमि का वह स्वामित्व तत्व नहीं रहता है और खेती करने वाले किरायेदार, मिट्टी का जोतने वाला उसका मालिक बन जाता है। यह निर्विवाद है। तारीख [2019] 15 एस. सी. आर. से मकान मालिक।

वैधानिक बिक्री केवल धारा 32-जी के तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित खरीद मूल्य प्राप्त करने का हकदार है। दूसरे शब्दों में, मकान मालिक मकान मालिक नहीं रह जाता है और किरायेदार भूमि का मालिक बन जाता है और राज्य के सीधे संपर्क में आ जाता है। हस्तांतरण के किसी भी कार्य के बिना मकान मालिक का अधिकार समाप्त हो जाता है और किरायेदार में एक साथ बनाया जाता है जिससे किरायेदार मानित खरीदार बन जाता है। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि 1 अप्रैल, 1957 को ताराचंद मकान मालिक थे और जनार्दन थे। किरायेदार। ताराचंद के मकान मालिक को कोई विकलांगता नहीं थी क्योंकि

धारा 32-एफ द्वारा परिकल्पित। इसलिए 1 अप्रैल, 1957 को जनार्दन खरीददार माने गए और श्री ललित इसका विरोध नहीं कर सके।

स्थिति. 7. यदि जनार्दन जुताई दिवस पर मानित खरीदार बन गए, तो ताराचंद और जनार्दन के बीच मकान मालिक और किरायेदार का संबंध समाप्त हो गया और ताराचंद या उनके माध्यम से दावा करने वाले अशोकलाल या वर्तमान खरीदारों द्वारा इस आधार पर कोई अधिकार नहीं लिया जा सकता था कि वे 1 अप्रैल, 1957 को या उसके बाद भूमि के मालिक हैं। यह बुनियादी तथ्य निर्विवाद है।

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि धारा 32-एफ इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है। धारा 32-एफ ने किरायेदार द्वारा अनिवार्य खरीद की तारीख को स्थगित कर दिया जहां मकान मालिक नाबालिग है।

या किसान दिवस पर कोई विधवा या मानसिक या शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्ति। धारा 32-एफ का धारा 32 पर एक प्रबल प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ खुलता है। धारा 32-एफ और 32 के संयुक्त प्रभाव से पता चलेगा कि

मकान मालिक धारा 32-एफ द्वारा परिकल्पित किसी भी अक्षमता के तहत नहीं है, ऐसे मकान मालिक का किरायेदार कानून के संचालन द्वारा बन जाएगा

खरीदार माना जाता है लेकिन जहां मकान मालिक किसी वर्ग या वर्ग का है।

अनिवार्य बिक्री को स्थगित कर दिया जाएगा जैसा कि उसमें प्रावधान किया गया है। अब, अगर ताराचंद, तो मकान मालिक कोई विकलांग नहीं था और वह था 1 अप्रैल, 1957 को जीवित रहते हुए और वे मालिक थे, उनके किरायेदार जनार्दन मानित खरीदार बन गए। यह निष्कर्ष, हमारी राय में, असमर्थनीय है।

13. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 1948 के अधिनियम की योजना और 1956 के संशोधन में, जिसमें टिलर दिवस की शुरुआत की गई थी, यह है कि भूमि में संवेदनशील मकान मालिक के अधिकारों को एल. आर. एस. द्वारा खेती किए जाने वाले वासंत गणपत पदवे (डी) को रास्ता देना चाहिए।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किरायेदार। वैधानिक रूप से, टिलर दिवस पर, मकान मालिक को स्वामित्व से वंचित कर दिया जाता है और किरायेदार को कृषि भूमि का अधिकार दिया जाता है, जिस पर वह अपने प्रयास से खेती करता है। केवल तीन मामलों में ऐसी खरीद अप्रभावी हो जाती है-यदि किरायेदार समय के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है।

उसे नोटिस दिए जाने के बाद निर्धारित किया जाता है, या दिखाई देता है और खरीद को अस्वीकार कर देता है, या यदि किरायेदार पूरी खरीद मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है। विधवा, नाबालिग और विकलांग व्यक्ति को एक ही पीठ पर रखा जाता है, और उनके विधवा होने के दौरान, अल्पसंख्यक या विकलांगता की अवधि को अपने किरायेदारों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भूमि पर खेती करने के लिए माना जाता है-धारा 2 (6) का स्पष्टीकरण-I यह स्पष्ट करता है। जैसा कि हमने ऊपर निकाले गए मामले के कानून से देखा है, अधिकांश मामलों में, मकान मालिक को एक निश्चित तिथि यानी 1 अप्रैल, 1957 को अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। यह केवल असाधारण मामलों में है जहां मकान मालिक एक विधवा, नाबालिग या विकलांग व्यक्ति है कि किरायेदार के इस अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह मकान मालिक और किरायेदार दोनों की जानकारी में है कि किरायेदार एक निश्चित तिथि यानी 1 अप्रैल, 1957 को वैधानिक रूप से मालिक बन जाता है। अन्यथा भी, धारा 32 के तहत उल्लिखित स्थगित तिथियों पर, यह माना जाएगा कि किरायेदार ने धारा 32 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत ऐसी स्थगित तिथि पर भूमि खरीदी है, जब धारा 29 के तहत मकान मालिक द्वारा कब्जे के लिए किया गया आवेदन अंततः खारिज कर दिया जाता है-एक ऐसी तारीख जो मकान मालिक और किरायेदार दोनों की जानकारी में हो। इसके अलावा, धारा 32 (1ए) के तहत निर्धारित परिस्थितियों के तहत, फिर से यह माना जाएगा कि किरायेदार ने उस तारीख को भूमि खरीदी है जिस दिन उक्त उप-धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है। पुनः, उप-धारा (1ख) के तहत, उपरोक्त उप-धारा में उल्लिखित परिस्थितियों में, भूमि किरायेदार को बहाल कर दी जाती है जिस पर मान लिया जाता है कि

खरीद-फरोख्त होती है। इसलिए, सांविधिक रूप से, धारा 32 द्वारा कवर किए गए सभी मामलों में, मकान मालिक को या तो टिलर दिवस पर या एक स्थगित तिथि पर, जो किरायेदार की जानकारी में है, अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उपरोक्त तिथि किसी न्यायाधिकरण या तहसीलदार के अंतिम आदेश पर है।

14. धारा 32-जी इस तथ्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि एक किरायेदार को नोटिस पर रखा जाना चाहिए ताकि भूमि का खरीद मूल्य

न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए। धारा 32-जी (1) के तहत यह सूचना प्रत्येक गांव में निर्धारित प्रपत्र में एक सार्वजनिक सूचना के रूप में है। इसके अलावा, न्यायाधिकरण प्रत्येक किरायेदार को व्यक्तिगत रूप से एक नोटिस भी जारी करेगा जिसमें उसे नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

ऐसा ही एक किरायेदार का मामला है जिसे [2019] 15 एस. सी. आर. खरीदा हुआ माना जाता है।

एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से मकान मालिक और न्यायाधिकरण। यह फिर से एक तारीख है जो किरायेदार की जानकारी में है क्योंकि एक वर्ष की अवधि की गणना उसकी किरायेदारी की शुरुआत से की जाती है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 32 के तहत स्थगित तिथियों और टिलर दिवस के बाद बनाए गए किरायेदारों के संबंध में किरायेदार के अधिकार के मामले में, किरायेदार को अपने वैधानिक अधिकार का उपयोग करना है। पूरी तरह से ठीक है कि यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा नहीं करता है या खरीद मूल्य का भुगतान नहीं करता है, तो खरीद या तो अप्रभावी हो जाती है या

अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इन सभी मामलों में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि किरायेदार को उस समय के बारे में पता होता है जिसके भीतर उसे अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए।

15. अब हम उस खंड पर आते हैं जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। धारा 32-एफ को 1956 के संशोधन अधिनियम द्वारा भाग के रूप में पेश किया गया था।

अक्षमता समाप्त हो जाती है अर्थात कि विचाराधीन भूमि अब किसी नाबालिग की नहीं है, क्योंकि वह बड़ा हो गया है, या किसी विधवा की नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है या उसने धारा 63 के तहत अनुमति के साथ अपना हिस्सा हस्तांतरित किया है, या किसी व्यक्ति को जिनकी मानसिक या शारीरिक अक्षमता समाप्त हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को इस आधार पर भूमि को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन करने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाता है कि ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उक्त भूमि पर खेती करना चाहते हैं, जिसके अनुसार धारा 29 के तहत भूमि के कब्जे के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि यह निर्धारित समय के भीतर किया जाता है, तो किरायेदार का खरीदने का अधिकार फलदायी नहीं होता है। यह केवल तभी होता है जब यह भीतर नहीं किया जाता है

एक वर्ष की अवधि, वनों के रूप में, कि किरायेदार का स्थगित अधिकार अस्तित्व में आता है।

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

16. 1969 के संशोधन अधिनियम से पहले, एक सादे शाब्दिक पठन पर

धारा 32-एफ (1) (ए) के अनुसार, यह सच है कि एक किरायेदार को इस अधिकार का प्रयोग एक वर्ष की अवधि के भीतर करना था।अधिनियम की धारा 31 (3) में। शाब्दिक रूप से, इसलिए, भले ही किरायेदार को पता न हो कि नाबालिग कब बड़ा हो गया या विधवा की मृत्यु कब हुई या उसने अपना हिस्सा कब हस्तांतरित किया, यह अधिकार इस अवधि की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।

एक वर्ष।

17. यह महसूस करते हुए कि इससे एक विशेष तथ्य के ज्ञान की कमी के लिए भारी कठिनाई होगी जो केवल मकान मालिक के अधिकार क्षेत्र में है, विधायिका ने कदम उठाया और धारा 32-एफ में संशोधन किया। बयानइस संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं:

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

सरकार के संज्ञान में यह आया है कि राज्य के बॉम्बे क्षेत्र और विदर्भ क्षेत्र में कई किरायेदार, उनके द्वारा धारित भूमि में स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने में विफल रहे क्योंकि उन्हें संबंधित किरायेदारी कानून में निर्धारित तरीके के अलावा भूमि से बेदखल कर दिया गया था। इसलिए इन क्षेत्रों से बेदखल लोगों के हितों की रक्षा के लिए इन क्षेत्रों में लागू किरायेदारी कानूनों में संशोधन करना समीचीन है।

किरायेदार। यह भी देखा गया है कि बॉम्बे में बड़ी संख्या में किरायेदार हैं।

राज्य का वह क्षेत्र जो उन जमींदारों से भूमि रखता है जो नाबालिग थे, धारा 32 की उप-धारा (1-ए) में निर्धारित अवधि के भीतर सूचना देने में विफल रहने के कारण भूमि खरीदने का अधिकार खो चुके हैं, इसलिए इन किरायेदारों को एक नया अधिकार देना आवश्यक है।

भूमि खरीदने का अवसर। इसलिए, धारा 32-एफ है

उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, मुसमिया इमाम हैदर बक्स रज़वी बनाम। रबारी गोबिंदभाई

गोविंदभाई रत्नाभाई, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 439] दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से कुछ मामलों में, उपयुक्त संशोधन करना भी आवश्यक हो गया है।

तीन क्षेत्रों में लागू किरायेदारी कानूनों की कुछ धाराएँ

राज्य से।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। "[2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. उद्देश्यों और कारणों के कथन का अनुच्छेद 2

यह इंगित करता है कि एक माफी योजना आवश्यक है, जिसमें बॉम्बे क्षेत्र में बड़ी संख्या में किरायेदार जो नाबालिग हैं, खरीद का अधिकार खो चुके हैं क्योंकि वे क़ानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने में विफल रहे हैं। इस माफी योजना के तहत, यदि कोई किरायेदार किसी ऐसे मकान मालिक से जमीन रखता है जो नाबालिग था और जिसने इसे प्राप्त किया था

1969 के संशोधन के प्रारंभ से पहले बहुमत और कोई सूचना नहीं दी गई थी, उस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो साल अतिरिक्त दिए गए थे जिसमें ऐसी सूचना दी जा सकती थी। यह वैधानिक उद्देश्य, उद्देश्यों के कथन के पैराग्राफ 2 में परिलक्षित होता है

और कारणों को 1969 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 32-एफ में अंतःस्थापित उप-धारा (1 ए) के परंतुक द्वारा निष्पादित किया जाता है।

19. साथ ही, वही संशोधन अधिनियम उप-धारा (1) (ए) में अंतःस्थापित किया गयाः

" और किरायेदार को खरीद के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, मकान मालिक किरायेदार को इस तथ्य की सूचना भेजेगा कि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है, उस अवधि की समाप्ति से पहले जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है। धारा 31 के तहतः

20. हमें ऐसा लगता है कि विधायिका के संज्ञान में आने वाले अधिकांश मामले ऐसे जमींदारों के थे जो मामूली थे 1956 के संशोधन अधिनियम के समय और जो उसके बाद ही बड़े हो गए। इसलिए, उप-धारा (1 ए) में निहित माफी योजना केवल ऐसे मामलों तक ही सीमित थी। दुर्भाग्य से, विधायिका, जब

उसने धारा 32-एफ की उप-धारा (1) (ए) में शब्द डाले, ऐसा प्रतीत होता है कि

यह भूल गए कि ये शब्द किरायेदारों के अधिकार को नियंत्रित करेंगे जिसे मकान मालिक की अक्षमता के कारण स्थगित कर दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य छूट गया है कि नाबालिगों के अलावा, धारा 32-एफ (1) (ए) में दो अन्य श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से सभी किरायेदार के संबंध में एक ही आधार पर खड़े होंगे।

यह एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी) होगा। वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी किरायेदार के लिए यह कहना पूरी तरह से विसंगत होगा कि यदि उसका मकान मालिक नाबालिग है, जिसने बाद में बहुमत प्राप्त कर लिया है, तो उसे पहले इस तथ्य से अवगत कराया जाना चाहिए, इससे पहले कि वह अपने खरीद के अधिकार का सार्थक रूप से प्रयोग कर सके; जबकि एक किरायेदार के लिए जो इसी तरह से स्थित है जब मकान मालिक एक

विधवा, जिस स्थिति में ऐसी कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, किरायेदार को उसकी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि किरायेदार को इसकी कोई जानकारी नहीं होगी।

विधवा की मृत्यु की तारीख (जो एक विशेष तथ्य है जो केवल उसके परिवार को पता है), ऐसे किरायेदार का खरीद का अधिकार समय के साथ समाप्त हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1969 के संशोधन का मसौदा तैयार करने वाला धारा 32-एफ (1ए) में निर्धारित माफी योजना से अभिभूत था, जो तब धारा 32-एफ (1ए) में किए गए संशोधन तक फैल गई, जिससे अनजाने में मकान मालिकों की दो अन्य श्रेणियों को छोड़ दिया गया, जहां किरायेदार को भी यही सूचना दी जानी चाहिए, क्योंकि विधवा की मृत्यु और/या अक्षमता की समाप्ति विशेष तथ्य हैं जो केवल मकान मालिक और उसके परिवार को ही पता हैं, जैसे कि एक नाबालिग वयस्क होने के मामले में। 21. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह उचित तर्क दिया गया है कि एक बेतुकी स्थिति उत्पन्न की जाएगी

धारा 32-एफ (1) (ए) का शाब्दिक पठन। मकान मालिक विधवा होने के नाते उसकी मृत्यु तक संरक्षित रहता है। उसकी मृत्यु के बाद, उसे एक वर्ष दिया जाता है।

फिर से शुरू करने के अधिकार का प्रयोग करने में रुचि रखने वाले उत्तराधिकारी। जब ऐसा नहीं होता है तो किरायेदार को अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए इस पहले एक वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष का समय दिया जाता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि किरायेदार को विधवा की मृत्यु के बारे में पता नहीं होता है। नतीजतन, यह वही भूमि जो मकान मालिक के उत्तराधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत खेती के लिए ब्याज में आवश्यक नहीं थी, धारा 32-पी के तहत मकान मालिक को वापस कर दी जाती है, उन मामलों में जिनमें मकान मालिक के पास या तो अधिकतम सीमा के भीतर कोई भूमि नहीं है या कुछ ऐसी भूमि है जो अधिकतम सीमा को समाप्त नहीं करती है।

सीमा। यह विसंगति वास्तव में कृषि सुधार की पूरी योजना को अपने सिर पर ला देती है। इस प्रकार हमें यह देखना होगा कि क्या धारा 32 एफ की भाषा को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ताकि उपरोक्त बेतुकी और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बीच भेदभाव को दूर किया जा सके।

व्याख्या का स्वर्ण नियम

22. ग्रे वी में। पियर्सन (1857) एल. आर. 6 एच. एल. कैस 61, जिसे शाब्दिक व्याख्या का स्वर्ण नियम कहा जाता है, के रूप में कहा गया था

निम्नलिखित हैः

" ..... मैं लंबे समय से और गहराई से ज्ञान से प्रभावित रहा हूं

नियम, अब, मेरा मानना है, सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया, कम से कम अदालतों में

वेस्टमिंस्टर हॉल में कानून का, कि वसीयतों का अर्थ और वास्तव में कानून, और सभी लिखित उपकरण, व्याकरणिक और साधारण

शब्दों की भावना का पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि यह नेतृत्व नहीं करेगा

कुछ बेतुकी, या कुछ तिरस्कार या असंगतता के साथ उपकरण के बाकी, जिस मामले में व्याकरणिक और

शब्दों के सामान्य अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि इससे बचा जा सके

वह बेतुकी और असंगतता, लेकिन इससे आगे नहीं। यह रखा गया है

श्री न्यायमूर्ति बर्टन द्वारा एक बहुत ही उत्कृष्ट राय में, जो है

वारबर्टन वी में पाया जा सकता है। लवलैंड [वारबर्टन बनाम। लवलैंड, (1831) 2 डाउ एंड सी. एल. 480: 6 ई. आर. 806] (देखें एंटी, पी. 76. एन.) "

(जोर दिया गया)

23. सैल्मन बनाम में एक प्रारंभिक प्रिवी काउंसिल निर्णय में। डनकॉम्ब

5) 11 ए. सी. 627,1856 का अध्यादेश संख्या 1, जैसा कि यह नटाल पर लागू होता था, आर निर्माण था। प्रावधान को समझने के लिए, प्रिवी

सी. आई. एल. ने अध्यादेश के कुछ शब्दों को पार करना आवश्यक पाया। उन्होंने यह कहते हुए कियाः

" हालाँकि, यह मानना एक बहुत ही गंभीर मामला है कि जब मुख्य

कानून का उद्देश्य स्पष्ट है, इसे शून्य कर दिया जाएगा

कानून के बारे में ड्राफ्ट्समैन की लापरवाही या अज्ञानता। यह हो सकता है

न्याय न्यायालय के लिए इस तरह के निष्कर्ष पर आना आवश्यक है,

लेकिन उनके प्रभुओं का मानना है कि आवश्यकता के अलावा कुछ भी इसे उचित नहीं ठहरा सकता है

या उपयोग की गई भाषा की पूर्ण अकर्षणशीलता। और उनके पास पहले खुद को इस बात पर विचार करने के लिए निर्धारित करें कि क्या कोई महत्वपूर्ण संदेह है

और इसलिए बाकी क़ानून को सीमित करें ताकि इसके प्रभाव को रद्द किया जा सके। पूरी तरह से या एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष में।

अध्यादेश तैयार करने वालों के व्यापक इरादे के बारे में, उनके प्रभुत्त्व यह नहीं पा सकते हैं कि किसी ने कभी एक सूचना दी है

वस्तु का पता लगाएँ। प्रस्तावना का बहुत महत्व है वस्तु का पता लगाएँ। उन्हें ऊपर उद्धृत किया गया है, और कोई भी एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी) नहीं है।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जो प्रस्तावना के अंत तक पढ़ता है और वहाँ रुक जाता है, वह संदेह कर सकता है कि इसका उद्देश्य एक पर्याप्त उपाय प्रदान करना है

उल्लिखित मामलों में नेटाल कानून के लिए अंग्रेजी कानून। उस उद्देश्य को संप्रदाय द्वारा लागू किया जाता है। 1 , जिस पर

बाद के खंड बदल जाते हैं। अब उस संप्रदाय को मान लीजिए। 1 "इस जिले में" या "इरादे और उद्देश्य" शब्दों के साथ समाप्त होता है। हालांकि यह तब बहुत ही कृत्रिम रूप से खींचा जाएगा, यह

इसका अर्थ लगाना कठिन नहीं होगा ताकि पूर्व घोषित वस्तु को प्रभाव दिया जा सके। सशर्त शब्द "अभ्यास कर सकते हैं या कर सकते हैं" के लिए एक अप्रकाशित शब्द के निहितार्थ की आवश्यकता होगी।

शर्त; अन्यथा वाक्य के परिणामस्वरूप एक शून्यता होगी। लेकिन इसका निहितार्थ किसी भी तरह से कठिन नहीं होगा। "इंग्लैंड के रीति-रिवाज" शब्दों के बाद "संपत्ति पर जोड़" का संकेत देते हुए

उन कानूनों और रीति-रिवाजों के अधीन, "अधिनियम विवेकपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा।

कठिनाई यह है, और उनके स्वामी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि यह एक बड़ी कठिनाई है, कि एक ऐसी स्थिति जो स्पष्ट रूप से और पहली नजर में सशर्त शब्दों "कर सकते हैं या कर सकते हैं" की सहसंबंधी स्थिति है, खंड के अंतिम नौ शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती है। और सवाल यह है कि क्या यह अभिव्यक्ति अन्य सभी को बाहर करती है।

प्रभाव। यदि इस तरह के निर्माण ने अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण परिचालन प्रभाव छोड़ा है, तो उस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप से देना आवश्यक हो सकता है; लेकिन, क्योंकि यह व्यक्त वस्तुओं को पूरी तरह से नष्ट कर देता है जब तक कि "निवासी" शब्द का अर्थ "अधिवासी" नहीं माना जाता है, और उस मामले में व्यक्त वस्तुओं को नष्ट कर देता है जहां तक वास्तविक संपत्ति का संबंध है, तो उनके स्वामी इसका नकारात्मक जवाब देते हैं। यह सच है कि वे विचाराधीन नौ शब्दों के लिए एक विवेकपूर्ण अर्थ नहीं पा सकते हैं। बहुत संभव है कि मसौदा तैयार करने वाला, जिसकी कौशल की कमी अध्यादेश में अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा दिखाई गई है, निवास को एक कानूनी प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराता है जो उसके पास नहीं है। लेकिन वह विधायिका से यह नहीं कहता कि शक्तियाँ

प्रदत्त शक्तियों को इससे बड़ी शक्तियां नहीं होनी चाहिए

इंग्लैंड में एक निवास द्वारा प्रदान किया गया। वह इसे शेष खंड में उन शब्दों का उपयोग करता है जो उन्हें अर्थ देने और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक आसान निहितार्थ के साथ हैं।

घोषित उद्देश्य, नेटाल कानून से बचने और अंग्रेजी कानून के तहत आने की शक्ति प्रदान करते हैं; और फिर वह ऐसे शब्द जोड़ता है जो

हो सकता है कि जो पहले हुआ है उसमें कुछ भी न जोड़ा जाए, लेकिन जो [2019] 15 एस. सी. आर. नहीं होना चाहिए।

बिना किसी आवश्यकता के यह समझा जाए कि जो कुछ भी पहले चला गया है उसे नष्ट कर दिया जाए। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से विचाराधीन नौ शब्दों का उल्लंघन या उल्लंघन नहीं करता है। वह इन शक्तियों का प्रयोग इस तरह करता है जैसे कि वह इंग्लैंड में रहता है, क्योंकि उनके अभ्यास के लिए यह पूरी तरह से मायने नहीं रखता है कि वह इंग्लैंड में रहता है या नहीं, और क्योंकि वह कहीं भी माना जाता है।

रहने के लिए वह उन्हें उसी तरह से अभ्यास करता है। यह बहुत है।

किसी क़ानून को इस तरह से समझने के लिए मजबूर किया जाना असंतोषजनक है, लेकिन इसे पूरी तरह से अर्थ से वंचित करना बहुत अधिक असंतोषजनक है। उनके अधिपतियों ने दो कठिनाइयों में से कम को चुना। 24. हमारे न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में, तीरथ सिंह बनाम। बचित्तर

सिंह और अन्य (1955) 2 एस. सी. आर. 457, इस न्यायालय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 99 (1) (ए) (ii) के प्रावधान का अर्थ लगाना था। न्यायालय ने कहाः

" ..... लेकिन यह व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि, "जहां एक क़ानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ और व्याकरणिक संरचना में, स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है।

अधिनियमन का उद्देश्य, या कुछ असुविधा या बेतुकेपन के लिए,

कठिनाई या अन्याय, संभवतः इरादा नहीं, इस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है। (मैक्सवेल की व्याख्या

क़ानून, 10 वीं संस्करण। , पी। 229) . खंड (ख) के साथ परंतुक को पढ़कर और धारा में इसकी स्थापना में इसका अर्थ लगाते हुए, हमारी राय है कि धारा की व्यापकता के बावजूद उपयोग की गई भाषा, परंतुक केवल उन व्यक्तियों को नोटिस देने पर विचार करता है जो याचिका के पक्षकार नहीं हैं।

इसलिए, न्यायालय ने उक्त परंतुक में उपस्थित "व्यक्ति" शब्द को केवल उन व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जो चुनाव में पक्षकार नहीं हैं। याचिका। यह इस तथ्य को देखते हुए किया गया था कि परंतुक का उद्देश्य उन व्यक्तियों को नोटिस देना था जिन्हें अब तक चुनाव याचिका की सूचना नहीं दी गई थी। जाहिर है, चुनाव याचिका के पक्षकार ऐसे व्यक्ति थे जो इस तरह की याचिका के अस्तित्व के बारे में जानते थे।

25. रामास्वामी नादर बनाम। मद्रास राज्य (1958) एस. सी. आर. 739, इस न्यायालय ने उन शब्दों की आपूर्ति करना आवश्यक पाया जो इसमें नहीं पाए गए थे।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 423 (1) (ए)। न्यायालय ने यह इस प्रकार कियाः

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" ..... लेकिन यह तर्क पूरी तरह से अप्रभावी है क्योंकि मामले के किसी भी दृष्टिकोण से अदालत को इस सवाल के जवाब में कुछ शब्द देने होते हैं कि "उसे किस बात का दोषी पाया जाए?" अपीलार्थी के अनुसार, वे अतिरिक्त शब्द ऐसे अपराध के होने चाहिए जो किए गए हैं। जिस पर आरोप लगाया गया था और जिसमें से उसे बरी कर दिया गया था, और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, अपराध का खुलासा किया गया था। यदि, धारा का अर्थ निकालने में, न्यायालय को क़ानून का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कुछ शब्दों की आपूर्ति करनी है, तो वह स्वाभाविक रूप से बाद वाले को पसंद करेगा।

निर्माण जो कारण के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण हो और

न्याय "।

26. मध्य प्रदेश राज्य में v. आजाद भारत फाइनेंस कं. सं. (1966) सप. एस. सी. आर. 473, अफीम (संशोधन पर मध्य) अधिनियम, 1955 की धारा 11 को अनुमेय माना गया और

निम्नलिखित रूप में ब्लिगेटरीः

" ..... यह अच्छी तरह से माना जाता है कि यदि कोई क़ानून बेतुका, कठिनाई या अन्याय की ओर ले जाता है, जिसका संभवतः कोई इरादा नहीं है, तो उस पर एक निर्माण किया जा सकता है जो शब्दों के अर्थ और यहां तक कि वाक्य की संरचना को भी संशोधित करता है (तीरथ सिंह बनाम। बचित्तर सिंह

[(1955) 2 464 पर एस. सी. आर. 457])।

दूसरा, यह एक दंडात्मक कानून है और यदि संभव हो तो इसका अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है या उसे उकसाया नहीं है, उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए।

तीसरा, यदि श्री श्रॉफ द्वारा सुझाए गए अर्थ को दिया जाता है, तो मध्य भारत अधिनियम की धारा 11 (डी) को निरस्त करना पड़ सकता है।

के अनुच्छेद 19 के तहत अनुचित प्रतिबंध लगाने के रूप में

संविधान। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि मध्य भारत अधिनियम की धारा 11 अनिवार्य नहीं है और यह अदालत को प्रत्येक मामले में विचार करना है कि क्या वह वाहन जिसमें प्रतिबंधित अफीम पाई गई है या ले जाया जा रहा है।

सभी को ध्यान में रखते हुए जब्त किया जाना चाहिए या नहीं

मामले की परिस्थितियाँ "।

27. बुधन सिंह बनाम। नबी बक्स (1970) 2 एससीआर 10, यह न्यायालय

कि यू. पी. की धारा 9 में होने वाली अभिव्यक्ति "अभिनिर्धारित" है।

नदारी उन्मूलन और सुधार अधिनियम, 1950 का अर्थ "कानूनी रूप से आयोजित" होना चाहिए।

"कानूनी रूप से" शब्द जोड़कर। न्यायालय ने कहाः -

" ..... धारा 9 में "धारित" शब्द के अर्थ पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यह मान लेना उचित है कि [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून निर्माता जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वे ऐसे कानून बनाते हैं जिन्हें समाज ईमानदार, निष्पक्ष और न्यायसंगत मानता है।

प्रत्येक विधान का उद्देश्य लोक कल्याण को आगे बढ़ाना है। में। अन्य शब्द जैसा कि क्रॉफर्ड ने सांविधिक निर्माण पर अपनी पुस्तक में देखा है कि पूरी विधायी प्रक्रिया से प्रभावित है

न्याय और कारण पर विचार करना। न्याय और तर्क कानून के हर हिस्से में महान सामान्य विधायी इरादे का गठन करते हैं।

नतीजतन जहां सुझाए गए निर्माण कठोरता से, हास्यास्पद रूप से या किसी अन्य तरीके से प्रचलित के विपरीत काम करते हैं।

न्याय और तर्क की अवधारणाएँ, ज्यादातर मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि क़ानून का स्पष्ट या सुझाए गए अर्थ, कानून निर्माताओं द्वारा अभिप्रेत नहीं था। कुछ अन्य संकेतों की अनुपस्थिति में कि कठोर या हास्यास्पद प्रभाव वास्तव में था

विधायिका द्वारा अभिप्रेत, यह मानने का बहुत कम कारण है कि यह

विधायी इरादे का प्रतिनिधित्व करता है। 28. आयकर आयुक्त, मध्य कलकत्ता बनाम।

जोनल ताज ट्रेडर्स (1980) 1 एस. सी. सी. 370, इस न्यायालय ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा का अर्थ लगाया ताकि एक स्पष्ट रूप से

डी का परिणाम इस प्रकार हैः

" ... निर्धारिती द्वारा तर्क दिए गए निर्माण के अनुसार और जिसे उच्च न्यायालय का समर्थन मिला, उत्तर में था

आयुक्त का आदेश उल्लंघन के रूप में अस्थिर है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, अपीलीय प्राधिकरण को अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? जाहिर है कि यह अपने हाथों को रोक नहीं सका और आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

कुल मिलाकर, के लिए, कि स्थायी करने के लिए राशि होगी

आयुक्त का गलत आदेश, और न ही यह कुछ भी किए बिना आयुक्त के गलत आदेश को केवल रद्द या रद्द कर सकता है।

आयकर अधिकारी के आदेश के बारे में, क्योंकि, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिकारी के आदेश को कायम रखा जाएगा जो था राजस्व के लिए प्रतिकूल होने के रूप में स्पष्ट रूप से गलत पाया गया। लेकिन इस तरह के परिणाम एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से प्रवाहित होंगे।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च न्यायालय, जिसने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायाधिकरण ने आयुक्त के आदेश को खाली करने में उचित कार्य किया, लेकिन निर्धारिती को अवसर देने के बाद कार्यवाही को नए सिरे से निपटाने का निर्देश देने में उचित कार्य नहीं किया। इस तरह के स्पष्ट रूप से बेतुके परिणाम का इरादा कभी भी विधानमंडल द्वारा नहीं किया जा सकता था। XXX XXX XXX

उप-धारा (2) (बी) पर एक शाब्दिक निर्माण इस तरह के स्पष्ट रूप से बेतुके और विसंगत परिणामों की ओर ले जाएगा, जो हमें नहीं लगता कि विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत थे। ये विचार हमें उप-धारा (2) (बी) के शब्दों को संशोधन में आयुक्त के स्वतः संज्ञान आदेशों पर लागू होने के रूप में समझने के लिए मजबूर करते हैं।

और उप-धारा (4) के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण या किसी अन्य उच्च प्राधिकारी द्वारा पारित किसी निर्देश या आदेश के अनुसरण में उसके द्वारा किए गए आदेशों को नहीं। इस तरह का निर्माण इस सिद्धांत के अनुरूप होगा कि धारा के सभी भागों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसके प्रत्येक खंड का अर्थ इस प्रकार किया जाना चाहिएः संदर्भ और उसके अन्य खंडों का संदर्भ ताकि उस विशेष प्रावधान पर रखा गया निर्माण एक सुसंगत बनाता है

पूरे कानून का अधिनियमन "।

29. के. पी. वर्गीज बनाम. आई. टी. ओ. (1981) 4 एस. सी. सी. 173, इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 52 की सही व्याख्या पर विचार किया। शाब्दिक रूप से पढ़ें, जिस क्षण किसी पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण उचित बाजार मूल्य से कम राशि से होता है, उचित बाजार मूल्य बताए गए विचार के बजाय केन होता है। इस न्यायालय ने धारा ई के तथ्य को पढ़ा कि एक प्रामाणिक कार्रवाई के मामले में इसका कोई आवेदन नहीं होगा जहां हस्तांतरण के लिए विचार का पूरा मूल्य है

निर्धारिती द्वारा घोषित। न्यायालय ने कहाः

" 5. ..... एक वैधानिक अधिनियम की व्याख्या का कार्य नहीं है

एक यांत्रिक कार्य। यह केवल पढ़ने से अधिक है। गणितीय सूत्र क्योंकि कुछ शब्दों में सटीकता होती है

गणितीय प्रतीक। यह विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा से उसके इरादे की खोज करने का एक प्रयास है और यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भाषा मानव विचार की अभिव्यक्ति के लिए एक अपूर्ण साधन है और जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने बताया है, प्रत्येक वैधानिक प्रावधान को "दिव्य विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार" किए जाने की उम्मीद करना बेकार होगा। हम कर सकते हैं।

जज लर्नड के प्रसिद्ध शब्दों को दोहराने से बेहतर कुछ नहीं है।

हाथ रखते हुए उन्होंने कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

..... यह सच है कि उपयोग किए गए शब्द, अपने शाब्दिक अर्थों में भी, किसी भी लेखन के अर्थ की व्याख्या करने के लिए प्राथमिक और सामान्य रूप से सबसे विश्वसनीय स्रोत हैंः चाहे वह कानून हो, अनुबंध हो या कुछ और। लेकिन यह एक परिपक्व और विकसित न्यायशास्त्र के निश्चित सूचकांकों में से एक है कि शब्दकोश से एक गढ़ नहीं बनाया जाए; लेकिन यह याद रखना कि क़ानूनों का हमेशा कुछ उद्देश्य या उद्देश्य पूरा करना होता है, जिसकी सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज निश्चित रूप से मार्गदर्शक है। उनके अर्थ। ”

हमें धारा 52 की कड़ाई से शाब्दिक व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए।

उप-धारा (2) लेकिन हमें इसकी भाषा का अर्थ उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निकालना चाहिए जो उस प्रावधान को लागू करने में विधायिका की दृष्टि में था और उस व्यवस्था के संदर्भ में जिसमें यह होता है। हम उस संदर्भ और प्रावधानों के संयोजन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं जिसमें धारा 52 उप-धारा (2) दिखाई देती है, क्योंकि, जैसा कि न्यायाधीश लर्नड हैंड ने सबसे सम्मानित रूप में बताया है। भाषाः

" ..... एक वाक्य का अर्थ अलग-अलग शब्दों से अधिक हो सकता है, क्योंकि एक राग स्वरों से अधिक होता है, और विशिष्टता की कोई भी डिग्री कभी भी उस सेटिंग का सहारा नहीं ले सकती है जिसमें सभी दिखाई देते हैं, और जो सभी सामूहिक रूप से बनाते हैं।

इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम अब संपर्क कर सकते हैं धारा 52 उप-धारा (2) का निर्माण।

6. खंड के शाब्दिक निर्माण के खिलाफ प्राथमिक आपत्ति

राजस्व की ओर से सुझाए गए सुझाव से पूरी तरह से अनुचित परिणाम प्राप्त होगा जो विधायिका द्वारा कभी भी अपेक्षित नहीं हो सकता था। उदाहरण के लिए, एक ऐसे मामले को लें जहां ए अपनी संपत्ति बी को एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए सहमत हो जाता है और बिक्री से पहले समझौते के अनुसार पूरा किया गया-और यह पूरी तरह से ज्ञात है कि कभी-कभी बिक्री का पूरा होना एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) हो सकता है।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समझौते की तारीख के कुछ साल बाद भी बाजार मूल्य में तेजी आती है जिसके परिणामस्वरूप बिक्री की तारीख को प्रचलित बाजार मूल्य उस सहमत मूल्य से अधिक हो जाता है जिस पर संपत्ति को ऐसे मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक बेचा जाता है।

सहमत कीमत। अर्थव्यवस्था में यह कोई असामान्य मामला नहीं है।

बढ़ती कीमतों और वास्तव में हम बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में पाएंगे जहां बिक्री समझौते की तारीख के एक या दो साल से अधिक समय बाद पूरी हो जाती है कि बिक्री की तारीख पर प्रचलित बाजार मूल्य उस कीमत से बहुत अधिक है जिस पर समझौते के तहत संपत्ति बेची जाती है। क्या यह किसी भी स्तर की निष्पक्षता और न्याय के साथ तर्क दिया जा सकता है कि ऐसे मामलों में, जहां हस्तांतरण और लेन-देन के संबंध में स्पष्ट रूप से विचार का कोई विवरण पूरी तरह से ईमानदार और प्रामाणिक नहीं है और वास्तव में, एक संविदात्मक दायित्व की पूर्ति में, निर्धारिती जिसने संपत्ति बेची है, वह पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जो उसे अर्जित या उत्पन्न नहीं हुआ है। निर्धारिती पर कर लगाना वास्तव में सबसे कठोर और असमान होगा।

सहमत मूल्य पर संपत्ति को बेचने के लिए संविदात्मक दायित्व और ईमानदारी से इस तरह के संविदात्मक दायित्व को पूरा करता है। यह वास्तव में अजीब होगा यदि कानून के पालन से आय पर कर लगाया जाना चाहिए जो न तो निर्धारिती के लिए उत्पन्न हुआ है और न ही उसे प्राप्त हुआ है। यदि हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, तो आइए हम एक ऐसे मामले पर विचार करें जहां ए अपनी संपत्ति बी को इस शर्त के साथ बेचता है कि कुछ समय के बाद जो कुछ साल या उससे अधिक हो सकता है, वह संपत्ति को ए को उसी कीमत पर फिर से बेचेगा। क्या ऐसे मामले में यह तर्क दिया जा सकता है कि जब बी संपत्ति को हस्तांतरित करता है

ए उसी कीमत पर जिस पर उसने इसे मूल रूप से खरीदा था, वह इस आधार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए जैसे कि उसने बाजार प्राप्त किया हो।

पुनर्विक्रय की तारीख को संपत्ति का मूल्य, यदि इस बीच, बाजार मूल्य बढ़ गया है और सहमत मूल्य से 15 प्रतिशत से अधिक हो गया है? इसी तरह की कई अन्य स्थितियाँ

इस पर विचार किया जा सकता है कि यह बेतुका और अनुचित होगा

धारा 52 उप-धारा (2) को इसके सख्त शाब्दिक [2019] 15 एस. सी. आर. के अनुसार लागू करना।

निर्माण। इसलिए हमें इसमें शाब्दिकता से बचना चाहिए

धारा 52 की उप-धारा (2) की व्याख्या और एक ऐसी व्याख्या पर पहुंचने का प्रयास करें जो इस बेतुकी और शरारत से बचाती है और प्रावधान को तर्कसंगत और विवेकपूर्ण बनाती है, जब तक कि निश्चित रूप से, हमारे हाथ बंधे न हों और हम अत्याचार से कोई बचाव नहीं पा सकते हैं।

शाब्दिक व्याख्या। यह अब निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि जहां एक की सादा शाब्दिक व्याख्या

वैधानिक प्रावधान एक स्पष्ट रूप से बेतुका और अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करता है जिसका उद्देश्य कभी भी विधायिका द्वारा नहीं किया जा सकता था।

न्यायालय विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकता है या यहां तक कि "कुछ हिंसा" भी कर सकता है, ताकि विधायिका के स्पष्ट इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक तर्कसंगत निर्माण किया जा सके (ल्यूक बनाम। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त [(1963) एसी 557])। अदालत ने

ऐसे मामले में भी वैधानिक प्रावधान में पढ़ा जा सकता है स्थिति जो, हालांकि व्यक्त नहीं की गई है, अंतर्निहित रूप से गठित है

वैधानिक प्रावधान में अंतर्निहित मूल धारणा। हम समझते हैं कि व्याख्या के इस सर्वविदित नियम को ध्यान में रखते हुए, धारा 52 की उप-धारा (2) का एक निष्पक्ष और उचित निर्माण इस शर्त के साथ किया जाएगा कि यह केवल तभी लागू होगा जब हस्तांतरण के लिए विचार कम किया गया हो या दूसरे शब्दों में, निर्धारिती को वास्तव में हस्तांतरण के लिए हस्तांतरण के साधन में घोषित की गई राशि की तुलना में अधिक प्रतिफल प्राप्त हुआ हो और इसका कोई वास्तविक लेनदेन के मामले में कोई आवेदन नहीं होगा जहां हस्तांतरण के लिए विचार का पूरा मूल्य है।

निर्धारिती द्वारा सही ढंग से घोषित। कई महत्वपूर्ण विचार हैं जो हमें इस निर्माण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं

धारा 52 उप-धारा (2) "। 30. सी. आई. टी. वी. में जे. एच. गोटला (1985) 4 एससीसी 343, द ट्रू

आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 24 (2) को निरस्त करना इससे पहले था।

अदालत। वर्गीज के मामले (ऊपर) के बाद, अदालत ने फैसला सुनायाः

" 44. हमारा ध्यान मामले के फैसले की ओर भी खींचा गया था मणिकम एंड कंपनी वी. टी. एन. राज्य [(1977) 1 एस. सी. सी. 199: 1977 एस. सी. सी. (कर) 165: (1977) 39 एस. टी. सी. 12,18] साथ ही क्रेज़

क़ानून (छठी संस्करण) पर, पी। 147 .

45. के. पी. वर्गीज बनाम के मामले में। आई. टी. ओ. (1981) 4 एस. सी. सी. 173: 1981 एस. सी. सी. (कर) 293: (1981) 131 आई. टी. आर. 597] इस न्यायालय ने एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी) पर जोर दिया।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

46. जहाँ किसी वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट शाब्दिक व्याख्या एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है जो कभी नहीं हो सकता था। विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत, न्यायालय विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को संशोधित कर सकता है ताकि विधानमंडल के इरादे को प्राप्त किया जा सके और एक तर्कसंगत संरचना तैयार की जा सके। का कार्य

एक सांविधिक प्रावधान की व्याख्या उपयोग की गई भाषा से विधानमंडल के इरादे का पता लगाने का एक प्रयास है। यह याद रखना आवश्यक है कि भाषा मानव इरादे की अभिव्यक्ति के लिए एक अपूर्ण साधन है। जज लर्नड हैंड द्वारा दी गई चेतावनी को याद रखना अच्छा है कि किसी को शब्दकोश से बाहर एक किला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखें कि कानूनों का हमेशा कुछ उद्देश्य या उद्देश्य होता है और सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज उनके अर्थ के लिए निश्चित मार्गदर्शक है। 47. हमने अधिनियम की धारा 16 (3) के उद्देश्य को नोट किया है जिसे वर्तमान उद्देश्य के लिए इस मामले में धारा 24 (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी विशेष प्रावधान का उद्देश्य अधिनियम की पूरी योजना से आसानी से स्पष्ट हो जाता है, जो इस मामले में, जहां तक निर्धारिती की आय की गणना का संबंध है, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए है, तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमें विधानमंडल द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा से इरादे का पता लगाना चाहिए और यदि सख्त शाब्दिक निर्माण एक बेतुका परिणाम की ओर ले जाता है, जिसका अर्थ है कि पहले बताए गए तरीके से पाए गए कानून के उद्देश्य के अधीन होने का इरादा नहीं है, और यदि सख्त शाब्दिक निर्माण के अलावा कोई अन्य निर्माण संभव है, तो उस निर्माण का उद्देश्य होना चाहिए

XXX XXX XXX 48. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस समस्या से निपटने में कानून निर्माताओं के रवैये को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि संशोधन और मूल रूप से उससे पहले जारी किए गए परिपत्र में प्रमाणित किया गया है और यह ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम की योजना के तहत जहां पत्नी या नाबालिग बच्चा व्यवसाय चलाता है, उसे रखने का अधिकार है।

चल रहे व्यवसाय में नुकसान पत्नी या नाबालिग बच्चे के लिए उपलब्ध होगा यदि उनका स्वयं आकलन किया गया था लेकिन [2019] 15 एस. सी. आर.

अधिकार पूरी तरह से खो जाएगा यदि वह व्यक्ति जिसकी कुल आय में नुकसान को शामिल किया जाना है, उसे धारा 24 (2) के तहत नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं है; क्योंकि यह सख्त शाब्दिक निर्माण का परिणाम होगा, यह स्पष्ट है कि यह संसद का इरादा नहीं हो सकता था। इसलिए, जहां अधिनियम की धारा 16 (3) संचालित होती है, वहां के व्यवसाय से लाभ या हानि

निर्धारिती की कुल आय में शामिल पत्नी या नाबालिग बच्चे को आगे बढ़ाने और बंद करने के उद्देश्य से "उसके द्वारा किए गए व्यवसाय" से लाभ या हानि के रूप में माना जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत ऐसी हानि।

एक अन्य कर मामले में, यह न्यायालय, तमिलनाडु राज्य बनाम। कोडाइकनाल मोटर यूनियन (पी) लिमिटेड (1986) 3 एस. सी. सी. 91 ने केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10-ए का अर्थ लगाते हुए कहाः " 17. अदालतों को हमेशा विधायिका के इरादे का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हालाँकि अदालतों को उपयोग की गई भाषा से क़ानून के इरादे का पता लगाना चाहिए, लेकिन भाषा अक्सर मानव विचार की अभिव्यक्ति का एक अपूर्ण साधन नहीं है। जैसा कि लॉर्ड डेनिंग ने कहा कि यह उम्मीद करना बेकार होगा कि प्रत्येक वैधानिक प्रावधान को दिव्य विवेक और पूर्ण स्पष्टता के साथ तैयार किया जाएगा। जैसा कि जज लर्नड हैंड ने कहा, हमें शब्दकोश से बाहर एक किला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए कि कानूनों का कोई उद्देश्य या उद्देश्य होना चाहिए, जिसकी कल्पनाशील खोज न्यायिक शिल्प कौशल है। हमें हमेशा शाब्दिकता से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है और हमें प्रयास करना चाहिए

अन्यायपूर्ण या बेतुके परिणाम से बचने का प्रयास करें। हमें कानून का मजाक नहीं बनाना चाहिए। एक दुखी से बाहर अर्थ बनाने के लिए

शब्दबद्ध प्रावधान, जहां न्यायिक पूर्व संध्या के लिए उद्देश्य स्पष्ट है, भाषा के लिए "कुछ" हिंसा की अनुमति है। (के. पी. वर्गीज बनाम. देखें। आई. टी. ओ. [(1981) 4 एस. सी. सी. 173,180-82: 1981 एससीसी (कर) 293,300-302: (1981) 131 आई. टी. आर. 597,604-606 और ल्यूक बनाम। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त [(1964) 54 आईटीआर 692 (एचएल)]।

XXX XXX XXX

19. ..... यह अनुमान लगाया जा सकता है कि "यदि अपराध नहीं किया गया था" शब्दों का वास्तविक प्रभाव एक ऐसी स्थिति का अनुमान लगाना था जिसमें निर्धारिती द्वारा दिए गए वचन को पूरा किया गया था, भले ही वास्तव में इसे पूरा नहीं किया गया था। यह एक बेतुका परिणाम होगा। हमारी राय में अभिव्यक्ति "यदि" सरलीकरण का उपयोग एक शर्त को इंगित करने के लिए किया गया था, शर्त यह थी कि एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदवे (डी) के समय।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जुर्माने का आकलन करते हुए, उस स्थिति की कल्पना की जानी चाहिए जिसमें कोई अपराध करने की कोई गुंजाइश न हो। ऐसी स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब कर देयता की उप-धारा (2) के तहत आती है।

अधिनियम की धारा 8। धारा 8 की योजना ने संकेत दिया कि

उसकी उप-धारा (1) द्वारा अनुध्यात रियायती दरें केवल उन वस्तुओं के संदर्भ में उपलब्ध होंगी जो - प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं द्वारा कवर किया गया। जिस क्षण यह पाया जाता है कि माल की विशेष मात्रा के संबंध में उपक्रम

निर्धारिती द्वारा प्रपत्र 'सी' घोषणा में दी गई जानकारी नहीं ली गई है।

बाहर, माल को ऐसा माना जाता था जिसके संबंध में कोई उपक्रम मौजूद नहीं था। इसलिए ऐसी वस्तुएं धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत विचार किए गए सामान्य कर के लिए उत्तरदायी होंगी। इसलिए जुर्माना केवल धारा की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित सामान्य दरों के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

8. यह समझदारी की बात होगी। यह तर्कसंगत रूप से संभव है

निर्माण। यह बेतुका परिणाम से बच जाएगा। "

31. हमीदिया हार्डवेयर स्टोर बनाम। बी. मोहनलाल (1988) 2

513 , तमिलनाडु भवनों की धारा 10 (3) (ए) (iii) (पट्टा और

नियंत्रण) अधिनियम, 1960 को अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा गया था, जिसके परिणामस्वरूप "यदि मकान मालिक इसे अपने उपयोग के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के उपयोग के लिए चाहता है" शब्दों को उपखंड (iii) में पढ़ा गया था। यह इस कारण से किया गया थाः

" 10. ..... यदि दोनों उपखंडों को इस तरह से नहीं पढ़ा जाता है, तो यह एक बेतुका परिणाम देगा। उपखंड (ii) में निर्दिष्ट गैर-आवासीय भवन एक ऐसा भवन है जिसका उपयोग रखने के उद्देश्य से किया जाता है।

एक वाहन या ऐसे उपयोग के लिए अनुकूलित और अन्य सभी गैर-आवासीय भवन उपखंड (iii) के तहत आते हैं। राज्य विधानमंडल को इस इरादे से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है कि इसके लिए अधिक कठोर कानून की आवश्यकता है। जब कोई मकान मालिक किसी गैर-आवासीय भवन की तुलना में किसी किराएदार को गैराज से बेदखल करने की मांग कर रहा हो, तब भी अपनी आवश्यकता या आवश्यकता के प्रामाणिक प्रमाण पर जोर देकर प्रमाण जो है -

व्यवसाय करने के लिए बड़े वाणिज्यिक घराने द्वारा कब्जा कर लिया गया।

प्रत्यर्थी का विद्वान वकील समझाने में सक्षम नहीं था किन कारणों से राज्य विधानमंडल ने वाहन रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों पर कब्जा करने वाले किरायेदारों को अधिक सुरक्षा दी या इस तरह के लिए अनुकूलित किया

अन्य प्रकार के गैर-आवासीय पर कब्जा करने वाले किरायेदारों की तुलना में उपयोग करें

इमारतें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत ने एक

प्रावधान को आसानी से उन शब्दों में नहीं पढ़ना चाहिए जिनमें [2019] 15 एस. सी. आर. नहीं हैं।

स्पष्ट रूप से अधिनियमित किया गया था लेकिन संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जिसमें

एक प्रावधान प्रकट होता है और क़ानून का उद्देश्य जिसमें कहा गया प्रावधान अधिनियमित किया गया है अदालत को इसका अर्थ एक में निकालना चाहिए

इसे सार्थक बनाने का सामंजस्यपूर्ण तरीका "।

32. इस फैसले का पालन सुरजित सिंह कालरा बनाम में किया गया था। संघ

डाय (1991) 2 एस. सी. सी. 87 निम्नानुसार हैः

" 19. यह सच है कि किसी कानून में ऐसे शब्दों को पढ़ने की अनुमति नहीं है जो वहां नहीं हैं, लेकिन जहां दोनों में से किसी एक के बीच विकल्प हो।

निहितार्थ शब्दों द्वारा आपूर्ति जो प्रतीत होते हैं

गलती से हटा दिया गया, या एक निर्माण को अपनाना जो सभी अर्थों के कुछ मौजूदा शब्दों को वंचित करता है, आपूर्ति करने की अनुमति है

शब्द "(क्रेज़ क़ानून कानून, 7 वां संस्करण, पी। 109)। समान हैं।

हमीडिया हार्डवेयर स्टोर बनाम में अवलोकन। बी. मोहन लाल सौकर [(1988) 2 एस. सी. सी. 513,524-25] जहाँ यह देखा गया था कि एक प्रावधान का अर्थ लगाने वाले न्यायालय को आसानी से उन शब्दों को नहीं पढ़ना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से अधिनियमित नहीं किया गया है, लेकिन जिनका सम्मान किया गया है।

उस संदर्भ में जिसमें एक प्रावधान प्रकट होता है और जिसका उद्देश्य

इसे सार्थक बनाने के लिए इसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझें। अ. प्रयास हमेशा किया जाना चाहिए ताकि प्रासंगिकता का मिलान किया जा सके।

कानून द्वारा अभिप्रेत उपचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रावधान। (देखिएः

सिराजुल हक खान बनाम। सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ [1959 एससीआर]

1287 , 1299 : ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 198])

वर्गीकृत जमींदारों के दावे के विरुद्ध विवाद। तथ्य यह है कि प्रामाणिक आवश्यकता शब्द का कोई संदर्भ नहीं है धारा 14-बी से 14-डी में मकान मालिक को यह साबित करने से छूट नहीं दी गई है कि उसकी आवश्यकता प्रामाणिक है या किरायेदार से

यह दर्शाता है कि यह प्रामाणिक नहीं है। वास्तव में एक किरायेदार के खिलाफ बेदखली का प्रत्येक दावा एक प्रामाणिक दावा होना चाहिए। खंड के शीर्षक से इस निर्माण के समर्थन में पर्याप्त संकेत भी हैं।

ईमानदारी के आधार पर बेदखली के लिए आवेदन आवश्यकता "।

33. सी. डब्ल्यू. एस. में (भारत) लिमिटेड बनाम। आय आयुक्त

1994) सप. 2 एस. सी. सी. 296, आयकर अधिनियम की धारा 40 (सी) (iii),

चर्चा के लिए आए। न्यायालय ने कहाः

एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी)। वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 10. अब, यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 40 (ए) (वी) केवल धारा 40 (सी) (iii) का एक विस्तारित संस्करण है। विचार यह था कि निर्धारिती के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के संबंध में भत्तों को अधिकतम सीमा के दायरे में लाया जाए, जिनका उपयोग उसके कर्मचारी द्वारा अपने उद्देश्यों या लाभ के लिए किया जाता है। धारा 40 (सी) (iii) में ऐसे भत्तों को शामिल नहीं किया गया था और इसे ठीक करने की मांग की गई थी। विचार निश्चित रूप से दो स्थितियों का एक अलग उपचार लाने के लिए नहीं था।

इस निर्णय में खंड (i) और (ii) के रूप में निर्दिष्ट धारा 40 (ए) (वी) में। निर्धारिती को स्वीकार करने का परिणाम

व्याख्या यह होगी कि व्यय की अधिकतम सीमा खंड (i) के तहत आने वाले मामले पर लागू होगी, लेकिन ऐसी कोई अधिकतम सीमा खंड (ii) के तहत आने वाले मामले पर तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि खंड (ii) द्वारा शासित कर्मचारी को खंड (i) के तहत आने वाला लाभ, सुविधा या आवश्यकता भी प्रदान नहीं की जाती है। इसका परिणाम न केवल भेदभावपूर्ण होगा, बल्कि बहुत असंगत, लगभग बेतुका भी होगा। सिद्धांत रूप में, दोनों मामलों या दो स्थितियों के बीच कोई अंतर नहीं है, जैसा कि उन्हें कहा जा सकता है। हम संतुष्ट हैं कि खंड (ii) में "ऐसे" शब्द का मात्र उपयोग अदालत को उक्त खंड पर एक व्याख्या करने के लिए प्रेरित करने का प्रभाव नहीं होना चाहिए जो न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि अत्यधिक असंगत है। इस संबंध में, हम इस मान्यता प्राप्त नियम का उल्लेख कर सकते हैं - क़ानूनों की व्याख्या कि जहाँ एक शाब्दिक व्याख्या बेतुकी या अनपेक्षित परिणाम की ओर ले जाती है, क़ानून की भाषा कर सकती है

संसद के इरादे के अनुसार और बेतुकेपन से बचने के लिए संशोधित किया जाए। मैक्सवेल का निम्नलिखित अंश

क़ानूनों की व्याख्या (12 वीं संस्करण) उपयोगी रूप से उद्धृत की जा सकती हैः

" 1. इरादे को पूरा करने के लिए भाषा में संशोधन।

—

जहाँ कानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ में और

व्याकरणिक संरचना, एक स्पष्ट विरोधाभास की ओर ले जाती है

अधिनियमन का स्पष्ट उद्देश्य, या कुछ के लिए

असुविधा या बेतुकी बात जो शायद ही हो सकती है

इरादा, उस पर एक निर्माण लगाया जा सकता है जो संशोधित करता है

शब्दों का अर्थ और यहाँ तक कि उनकी संरचना

वाक्य। यह नियमों से हटकर किया जा सकता है

व्याकरण, विशेष शब्दों को एक असामान्य अर्थ देकर, या उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार करके, इस आधार पर कि

विधायिका संभवतः अपने शब्दों का इरादा नहीं रख सकती थी

यह दर्शाता है कि किए गए संशोधन केवल सुधार हैं

लापरवाह भाषा और वास्तव में सही अर्थ देते हैं।

किसी कानून का मुख्य उद्देश्य और इरादा स्पष्ट है, इसे आवश्यकता के मामले में, या उपयोग की गई भाषा की पूर्ण अस्पष्टता को छोड़कर, मसौदा तैयार करने वाले की लापरवाही या कानून के बारे में अज्ञानता से शून्य नहीं किया जाना चाहिए। लॉर्ड रीड ने कहा है कि वह जानबूझकर करने के प्रयास के बजाय अपना संशोधन करने में ड्राफ्ट्समैन की ओर से गलती देखना पसंद करते हैं।

एक तर्कहीन नियम लागू कीजिएः ' निर्माण के नियम इतने कठोर नहीं हैं कि एक यथार्थवादी समाधान को रोका जा सके। "

इसलिए, हमारी राय है कि केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ इस पहलू पर अपना विचार रखने में सही थी और हम इससे सहमत हैं।

34. मोलर माल बनाम। के आयरन वर्क्स (पी) लिमिटेड (2000) 4 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने हरियाणा शहरी (नियंत्रण और बेदखली) अधिनियम, 1973 के प्रावधान का अर्थ धारा के प्रावधान की व्याख्या करके लगाया।

उक्त अधिनियम के कुछ शब्दों को निम्नलिखित रूप में जोड़करः

" 12. ..... हम मकान मालिक के इस तर्क से सहमत हैं कि आम तौर पर अदालतों को शाब्दिक निर्माण के नियम का पालन करना होगा जो नियम अदालत को विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को लेने और इसे वह अर्थ देने का आदेश देता है जो स्वाभाविक रूप से निहित है। लेकिन, इस नियम का एक अपवाद है। यह अपवाद तब लागू होता है जब क़ानून में शब्दों के शाब्दिक निर्माण के उपयोग से बेतुका, असंगतता होती है या जब यह दिखाया जाता है कि जिस कानूनी संदर्भ में शब्दों का उपयोग किया जाता है या क़ानून को समग्र रूप से पढ़ने से, इसके लिए एक अलग अर्थ की आवश्यकता होती है। हमारी राय में, यदि "फिर से आवेदन करने का अधिकार" अभिव्यक्ति को इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाता है, तो यह उसी उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए विधायिका के पास है।

अधिनियम में उस परंतुक को शामिल किया गया है क्योंकि उस परंतुक के उद्देश्य को एक मकान मालिक द्वारा पराजित किया जा सकता है जिसके पास इससे अधिक है

कई आवेदन दायर करके एक किरायेदार परिसर

निष्कासन के लिए और उसके बाद कब्जा प्राप्त करने के लिए

परंतुक के प्रतिबंध के बिना उन सभी परिसरों को उस पर लागू किया जा रहा है। हमारी राय है कि यह वह उद्देश्य नहीं हो सकता था जिसके लिए अधिनियम में परंतुक शामिल किया गया है। अगर ऐसा है तो

व्याख्या दी जाती है फिर उप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रावधान

धारा 13 की धारा (3) अनुचित हो जाएगी और अधिनियमन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हमारी राय में ऐसी कोई भी व्याख्या बेतुकी होगी। इसलिए, हमें इस परंतुक की व्याख्या करने में कोई हिचकिचाहट

नहीं है कि उस परंतुक के तहत विचार किया गया प्रतिबंध एल. आर. एस. द्वारा वासंत गणपत पदाव (डी) तक भी फैला हुआ है।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जब न्यायालय या न्यायाधिकरण वास्तविक बेदखली के लिए मकान मालिक के मामले पर विचार कर रहा है और इस स्तर तक सीमित नहीं है

केवल बेदखली याचिका दायर करना "।

35. भारत संघ में v. हंसोली देवी (2002) 7 एस. सी. सी. 273, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28-ए का अर्थ इसकी शाब्दिक व्याख्या करके और धारा आदेशों में पढ़कर किया गया है और उस संदर्भ पर विचार किया जाता है और जवाब दिया जाता है। अदालत ने

1 :

" 9. ..... इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 28-ए का उद्देश्य एक संदर्भ देने का अधिकार प्रदान करना था, (उस व्यक्ति को) जिसने धारा 18 के तहत पहले कोई संदर्भ नहीं दिया हो और इसलिए, सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति इसके तहत एक संदर्भ देता है।

धारा 18 लेकिन उसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, उसे भूमि अधिग्रहण की धारा 28-ए का अधिकार नहीं मिलेगा।

जब कोई अन्य व्यक्ति संदर्भ देता है तो कार्य करें और संदर्भ का जवाब दिया जाता है। लेकिन संसद द्वारा धारा 28-ए को एक लाभकारी प्रावधान के रूप में अधिनियमित करने के बाद, यह बहुत अन्याय का कारण होगा यदि अधिनियम की धारा 28-ए में "धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं किया था" अभिव्यक्ति की शाब्दिक व्याख्या की जाती है। उपरोक्त अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि यदि भूमि मालिक ने धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन किया है और उस संदर्भ पर विचार किया जाता है और जवाब दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, भूमि मालिक के लिए यह अनुमति नहीं हो सकती है कि वह

संदर्भ लें और इसका उत्तर प्राप्त करें और फिर बाद में एक अन्य आवेदन जब कोई अन्य व्यक्ति संदर्भ का उत्तर प्राप्त करता है और अधिक राशि प्राप्त करता है। वास्तव में प्रदीप में

कुमारी मामला [(1995) 2 एस. सी. सी. 736] तीन विद्वान न्यायाधीश, जबकि

संतुष्ट करने के लिए शर्तों की गणना करना, जिसके बाद

धारा 28-ए के तहत आवेदन दायर किया जा सकता है, जिसे स्पष्ट रूप से कहा गया था (एससीसी पी। 743, पैरा 10) "आवेदन दायर करने वाले व्यक्ति ने धारा 18 के तहत कलेक्टर को आवेदन नहीं दिया था"। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, "आवेदन नहीं किया" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा, एक प्रभावी आवेदन नहीं किया गया था जिसे संदर्भ देकर स्वीकार किया गया था और संदर्भ का उत्तर दिया गया था। जब धारा 18 के तहत किसी आवेदन पर सीमा के आधार पर विचार नहीं किया जाता है, तो वह किसी भी संदर्भ में सफल नहीं होता है, तो वह इसके समान नहीं होगाः

एक प्रभावी अनुप्रयोग और परिणामस्वरूप ऐसे [2019] 15 एस. सी. आर. के अधिकार।

धारा 28-ए के तहत आवेदन दायर करने के लिए किसी अन्य संदर्भ से उत्पन्न होने वाले आवेदक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम, तदनुसार, यह मानते हुए प्रश्न 1 (ए) का उत्तर देते हैं कि बर्खास्तगी

धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग करने वाले आवेदन का देरी का आधार भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28-ए के अर्थ के भीतर आवेदन दायर नहीं करने के समान होगा।

1894. "

36. इस तथ्य को देखते हुए कि 1956 के संशोधन का उद्देश्य, जो एक कृषि सुधार कानून है, और मिट्टी की जुताई करना है

भूमि के लिए वैधानिक अधिकार जो इस तरह के जोतने वाले खेती करते हैं; और, इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 32-एफ (1) (ए) की शाब्दिक व्याख्या न्याय और तर्क के विपरीत होगी और उन व्यक्तियों के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बनेगी जो समान रूप से परिस्थितियां हैं; साथ ही एक अनुपस्थित जमींदार के पास वापस जाने की बेतुकी बात जब वह व्यक्तिगत खेती का अधिकार खो देता है, जैसा कि 1956 के संशोधन के उद्देश्य में उल्लेख किया गया है। इसके ऊपर, हम ". इस तथ्य से कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है" शब्दों को हटा देते हैं। इन शब्दों के बिना, इसलिए, तीनों श्रेणियों से संबंधित मकान मालिक को उस अवधि की समाप्ति से पहले किरायेदार को एक सूचना भेजनी होगी, जिसके दौरान ऐसा मकान मालिक धारा 31 के तहत किरायेदारी को समाप्त करने का हकदार है।

धारा 32-एफ को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप पढ़ा जाएगा।

37. आर. एल. अरोड़ा बनाम भारत संघ (1964) 6 एस. सी. आर. 784, इस न्यायालय ने निर्धारित किया किः

" यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि एक तरह से माने गए कानून के कुछ प्रावधान संविधान के अनुरूप होंगे, और यदि कोई अन्य व्याख्या उन्हें असंवैधानिक बना देगी, तो न्यायालय पहले के निर्माण के पक्ष में होगाः (केदार नाथ सिंह बनाम देखें। बिहार राज्य) [(1962) पूरक 2 एस. सी. आर. 769]। ” 38. श्री राम कृष्ण डालमिया बनाम। श्री न्यायमूर्ति एस. आर.

तेंदोलकर (1959) एस. सी. आर. 279, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत मामले के कानून को छह प्रस्तावों के रूप में संक्षेप में प्रस्तुत किया। हम यहाँ प्रस्ताव (घ) से संबंधित हैं, जो इस प्रकार हैः

" ..... ऊपर वर्णित सिद्धांत लगातार रहा है।

बाद के मामलों में अपनाया और लागू किया गया। इन फैसलों

न्यायालय ने आगे स्थापित किया

XXXX

अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन में यह आदेश दिया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेने में समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

पक्षपात। यह समान कानूनों, यानी उन कानूनों के संरक्षण की प्रतिज्ञा है जो समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से काम करते हैं।

XXX XXX XXX (3) राज्य को अपने कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करने का संवैधानिक आदेश एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करता है जो एक सटीक सूत्र के आविष्कार और अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वर्गीकरण का गठन व्यक्तियों या चीजों के सटीक या वैज्ञानिक बहिष्कार या समावेश से नहीं किया जाना चाहिए। अदालतों को भ्रम पर जोर नहीं देना चाहिए

किसी भी मामले में वर्गीकरण की वैधता निर्धारित करने के लिए सटीकता या सैद्धांतिक परीक्षण लागू करें। वर्गीकरण उचित है यदि यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है।

(6) कानून समाज की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार और अनुभव के अनुसार वर्गों को बना और अलग कर सकता है। यह बुराई के स्तर को भी पहचान सकता है, लेकिन वर्गीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए। XXX XXX XXX

(8) भेद जो वर्गीकरण का आधार है और अधिनियम का उद्देश्य अलग-अलग चीजें हैं और जो आवश्यक है वह यह है कि उनके बीच एक संबंध होना चाहिए। संक्षेप में, जबकि अनुच्छेद 14 विशेषाधिकार प्रदान करके या लागू करके वर्ग भेदभाव को मना करता है।

प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों या लगाए जाने वाले प्रस्तावित दायित्वों के संबंध में समान रूप से स्थित बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों में से मनमाने ढंग से चुने गए व्यक्तियों पर देनदारियां, यह कानून के उद्देश्य के लिए वर्गीकरण को मना नहीं करता है। बशर्ते कि ऐसा वर्गीकरण इस अर्थ में मनमाना न हो

ऊपर बताया गया है "।

राम कृष्ण डालमिया के मामले (उपर्युक्त) में प्रस्ताव (घ) के लिए यहाँ ऊपर निहित प्रस्ताव (6) में एक राष्ट्र उत्कीर्ण किया गया है।

कानून नुकसान की डिग्री को पहचान सकता है, लेकिन ऐसा करने में

एकीकरण कभी भी मनमाना, कृत्रिम या टालमटोल वाला नहीं होना चाहिए। इसे प्रस्ताव (8) के परंतुक के रूप में भी रखा गया है। हमारे पास है।एल. आर. एस. द्वारा 1969 के वासंत गणपत पदाव (डी) के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर लाल।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संशोधन। पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि नाबालिग जमींदारों से जुड़े बड़ी संख्या में मामले विधायिका के संज्ञान में आए थे, जिसके कारण धारा 32-एफ की उप-धारा (1 ए) में उल्लिखित माफी योजना लागू की गई थी। हालांकि, क्या भूल गया था

ड्राफ्ट्समैन जब धारा 32-एफ (1) (ए) में जोड़ा गया था

तथ्य यह है कि धारा 32 एफ (1) (ए) ने मकान मालिकों की तीन श्रेणियों को संदर्भित किया है, न कि केवल एक को। 1969 के संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों ने इस प्रकार किरायेदारों को केवल छोटे जमींदारों के लिए राहत दी, न कि अन्य दो श्रेणियों के लिए। जाहिर है, छोटे जमींदारों के किरायेदारों के पक्ष में किया गया वर्गीकरण

अन्य दो श्रेणियों के मकान मालिकों के किरायेदारों के विपरीत एक वर्गीकरण है जो प्रकृति में मनमाना है। इस तरह के मामले में

वर्गीकरण को आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में रद्द करना होगा।

40. हालाँकि, इस तरह के वर्गीकरण को समग्र रूप से समाप्त करने के बजाय, क्या किया जा सकता है कि ". इस तथ्य के लिए कि उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया है" शब्दों को समाप्त कर दिया जाए, जिसके परिणामस्वरूप, धारा 32-एफ (1) (ए) में 1969 के संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया है वह अब समाप्त हो जाता है। भेदभावपूर्ण, क्योंकि यह जमींदारों की तीनों श्रेणियों के किरायेदारों पर लागू होता है।

41. शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 14 में निहित मौलिक अधिकार के सकारात्मक पहलू को इस प्रकार संदर्भित कियाः

" 62. भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का एक पहलू है

संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्थिति और अवसर। अनुच्छेद स्वाभाविक रूप से खुद को दो भागों में विभाजित करता है।

(1) कानून के समक्ष समानता, और (2) कानून का समान संरक्षण। इस न्यायालय के निर्णयों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून से ली गई है। यू. के. और कानूनों के समान संरक्षण को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 14 वें संशोधन से उधार लिया गया है। एक स्पष्ट निर्णय में, जे. सुब्बा राव, असहमति जताते हुए,

यू. पी. राज्य बनाम देवन उपाध्याय [यू. पी. राज्य बनाम। देवन उपाध्याय (1961) 1 एस. सी. आर. 14: आकाशवाणी 1960 एससी 1125: 1960 Cri LJ 1504], AIR p. 1134 पैरा 26: एस. सी. आर. पी. 34 उन्होंने आगे कहा कि जहां कानून के समक्ष समानता एक नकारात्मक अवधारणा है, वहीं कानून के समान संरक्षण में सकारात्मक सामग्री है। इस न्यायालय के शुरुआती फैसलों में "भेदभाव" का उल्लेख किया गया था।

अनुच्छेद 14 का पहलू, और एक नियम विकसित किया जिसके द्वारा विषय [2019] 15 एस. सी. आर.

वर्गीकृत किया जाता है। यदि वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए "बोधगम्य" था जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी, वह अनुच्छेद 14 के भेदभाव विरोधी पहलू के तहत पारित होगा। फिर से, सुब्बा राव, जे।

असहमति जताते हुए, लक्ष्मण दास बनाम। पंजाब राज्य [लक्ष्मण]

दास वी। पंजाब राज्य, (1963) 2 एससीआर 353: ए. आई. आर. 1963 एससी

222] , एस. सी. आर. पी. 395 , चेतावनी दी कि - (एयर पी। 240, पैरा 50)

" 50. ..... वर्गीकरण के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर देना या वर्गीकरण के लिए कुछ आधार खोजने का एक चिंतित और निरंतर प्रयास धीरे-धीरे और अस्पष्ट रूप से वंचित कर सकता है।

इसकी शानदार सामग्री का लेख "।

उन्होंने उक्त अनुच्छेद को व्यावहारिक सामग्री देने के लिए अदालतों द्वारा विकसित "सहायक नियम" के रूप में वर्गीकरण के सिद्धांत का उल्लेख किया। 63. 1974 से पहले के युग में, इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख था -

अनुच्छेद 14 का "कानून का शासन" या "सकारात्मक" पहलू,

जिसका सहवर्ती यह है कि यदि कोई कार्रवाई मनमाना पाई जाती है

और, इसलिए, अनुचित, यह अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समान संरक्षण को नकार देगा और इसे निरस्त कर दिया जाएगा

यह जमीन "।

42. हीरालाल पी. हरसोरा बनाम। कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा

5) 10 एस. सी. सी. 165 एक उदाहरण है। इस फैसले में, इस अदालत ने कहा

महिलाओं के संरक्षण की धारा 2 (क्यू) का एक हिस्सा

विशिष्ट हिंसा अधिनियम, 2005। उक्त अधिनियम की धारा 2 (क्यू) ने विचार को "किसी भी वयस्क पुरुष व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जो पीड़ित व्यक्ति के साथ संबंध रखता है या रहा है और जिसके खिलाफ दुखी व्यक्ति ने कोई राहत मांगी है। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुएई अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य ने "वयस्क पुरुष" के पेशे को निम्नानुसार निरस्त कर दियाः

" 39. इन निर्णयों का अवलोकन भी परिणाम की ओर ले जाता है

यह कि 2005 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के संबंध में पुरुष और महिला, वयस्क और गैर-वयस्क के बीच सूक्ष्म अंतर न तो वास्तविक है और न ही इसका विधान के उद्देश्य से कोई तर्कसंगत संबंध है। में।

वास्तव में, सुब्रमण्यम स्वामी में निर्धारित सिद्धांत के अनुसार

[सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। सी. बी. आई. (2014) 8 एस. सी. सी. 682: (2014) 6 एससीसी (सीआरआई) 42: (2014) 3 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 36] निर्णय, शब्द "वयस्क पुरुष व्यक्ति" सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के विपरीत हैं। एल. आर. एस. द्वारा किसी भी वसंत गणपत पदवे (डी) की घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को।

वी. अनंत अहदेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दयालु "। इसलिए, हम धारा 2 (क्यू) में "व्यक्ति" शब्द से पहले "वयस्क पुरुष" शब्दों को हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द व्यक्तियों के बीच समान रूप से भेदभाव करते हैं, और 2005 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के विपरीत हैं।

XXX XXX XXX

44. उपरोक्त पृथक्करण सिद्धांत के अनुप्रयोग से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 2005 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में "वयस्क पुरुष" अभिव्यक्ति को निरस्त करने के बाद, शेष धारा को बरकरार रखा गया है और इसे उल्लंघनकारी शब्दों के बिना कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। 2005 के अधिनियम की धारा 2 (क्यू) के तहत, "प्रतिवादी" को परिभाषित करते हुए, एक परंतुक केवल "प्रतिवादी" के वयस्क पुरुष नहीं होने की स्थिति के अपवाद को बनाने के लिए प्रदान किया गया है। एक बार जब हम "वयस्क पुरुष" को हटा देते हैं, तो परंतुक में कोई प्रावधान नहीं होता है

स्वतंत्र अस्तित्व, जिसे अन्य रूप दिया गया है "।

43. सचिव, महात्मा गांधी मिशन बनाम। भारतीय

गार सेना (2017) 4 एस. सी. सी. 449, इस न्यायालय ने डी. एस. नकारा बनाम में बहुत अधिक उल्लेख किया। भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305 और

आयोजितः

" 88. नागरिक के लिए क्या उपाय खुला है और इस प्रकार से निपटने के लिए न्यायपालिका का संबंधित दायित्व

स्थिति, जहाँ असमानताएँ या तो द्वारा बनाई जाती हैं

कानून या कार्यकारी कार्रवाई? परंपरागत रूप से, यह न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी कानून की घोषणा करते रहे हैं, जो

असमानताएँ असंवैधानिक हैं, लेकिन नकारा मामले में [डी. एस. नकारा बनाम। भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305: 1983 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 145] इस न्यायालय ने महसूस किया कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। निर्देशात्मक सिद्धांतों और अनुच्छेद 14 के संयुक्त अध्ययन से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करें। इसलिए, इस न्यायालय ने नकारा मामले में दृढ़ता से निर्धारित किया [डी. एस. नकारा बनाम। संघ

भारत सरकार (1983) 1 एस. सी. सी. 305: 1983 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 145] कि कारकों को समाप्त करके एक उपयुक्त प्रेरक राहत देना संभव है, जो कृत्रिम वर्गीकरण बनाता है जिससे एक

कानून का भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग "।

44. इन निर्णयों में निर्धारित कानून का सम्मानपूर्वक पालन करते हुए, अनुच्छेद 14 के अनुरूप धारा 32-एफ (1) (ए) को पढ़ने के लिए, "इस तथ्य का कि उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है" शब्दों का अनुकरण करें। मकान मालिक द्वारा दी जाने वाली सूचना पर [2019] 15 एस. सी. आर. किया जाना है।

प्रावधान द्वारा कवर किए गए मकान मालिकों की सभी तीन श्रेणियों के किरायेदारों को।

45. अब धारा 32-एफ की व्याख्या पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विचार करना बाकी है। अन्ना भाऊ मगदुम में

वी. बाबासाहेब आनंदराव देसाई (1995) 5 एस. सी. सी. 243, एक नाबालिग जमींदार ने 1965 में बहुमत प्राप्त किया, यानी 1969 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले। 1969 में किए गए संशोधनों को स्वीकार करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि इस कारण से संशोधन उस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वास्तव में यह भी पाया गया कि यह जानने के बावजूद कि प्रत्यर्थी मकान मालिक 17.1.1965 पर बहुमत प्राप्त कर लेगा, किरायेदार ने उक्त उप-धारा द्वारा दी गई दो साल की माफी अवधि के भीतर भी धारा 32-F की उप-धारा (1ए) द्वारा आवश्यक कोई सूचना नहीं दी। उस मामले में किरायेदार की ओर से केवल यह तर्क दिया गया था कि चूंकि एक स्वचालित खरीद होती है, इसलिए उप-धारा (1ए) के प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हैं। इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि धारा 32-एफ (1ए) का पालन न करने के परिणाम निर्धारित किए गए हैं।

धारा 32-पी (1) में नीचे दिया गया है और इसलिए धारा 32-एफ की उप-धारा (1ए) में निहित समय अवधि प्रकृति में अनिवार्य है। यह मामला अपने तथ्यों पर पूरी तरह से अलग है और धारा 32-एफ (1ए) पर कानून निर्धारित करता है जिससे हम तुरंत संबंधित नहीं हैं।

46. हालाँकि, अप्पा नरसप्पा बनाम। अकुबाई गणपति (1999) 4 एस. सी. सी. 443, इस न्यायालय ने मकान मालकिन विधवा को तथ्यों पर संदर्भित किया

वह मामला जिसकी मृत्यु 1969 के संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले 1965 में हुई थी। इस तथ्यात्मक परिदृश्य में, चूंकि किरायेदार ने उसे दी गई एक वर्ष की समय सीमा का पालन नहीं किया था, इसलिए किरायेदार को खरीदने का अधिकार समाप्त हो गया था। यह तर्क कि एक वर्ष ज्ञान की तारीख से होना चाहिए, निम्नलिखित शब्दों में अस्वीकार कर दिया गया थाः

" 4. विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि यह किरायेदारों के लाभ के लिए अधिनियमित एक कल्याणकारी कानून होने के कारण इसे उदार तरीके से समझा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मकान मालकिन के उत्तराधिकारियों ने अपीलार्थी को उसकी मृत्यु के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी और इसलिए वह यह नहीं जान सकता था कि मकान मालकिन के उत्तराधिकारी कौन थे और उन्हें सूचित किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक वर्ष की अवधि को किरायेदार की जानकारी की तारीख से गिना जाना चाहिए। हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि धारा 32-एफ और 31 की भाषा काफी स्पष्ट है और एक वर्ष की अवधि को एल. आर. एस. द्वारा वसंत गणपत पदवे (डी) के अनुसार गिना जाएगा।

वी. अनंत महादेव सावंत (डी) टीएचआर। एलआरएस। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उक्त प्रावधानों के साथ और किरायेदार की जानकारी की तारीख से नहीं। कानून का प्रावधान स्पष्ट होने के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते।

इक्विटी के आधार पर एक मामला अनुदान राहत।

चूँकि यह निर्णय 1948 के अधिनियम में 1956 के संशोधन या इस निर्णय में कानून की घोषणा द्वारा प्राप्त किए जाने के उद्देश्य के साथ मेल नहीं खाता है, इसलिए यह कानून को सही ढंग से नहीं बताता है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को बाहर निकालते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि तथ्यों पर उस मामले में जब से धारा 31 (3) लागू होना बंद हो गई थी, धारा 32-एफ (1) बिल्कुल भी लागू नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप

मकान मालिक को किसी भी सूचना की सूचना जारी करने के लिए किरायेदार। जिन अन्य निर्णयों का उल्लेख किया गया था, उन्हें पैराग्राफ 27 में अलग किया गया था जिसमें कहा गया था कि वे सभी निर्णय थे जिनमें धारा 32-एफ (1 ए) लागू होगी। इस मामले के तथ्य फिर से तथ्यों से बहुत दूर हैं

49. अब केवल श्री भास्मे के कुछ अन्य तर्कों पर विचार करना बाकी है। धारा 14 (1) (ए) के आधार पर दिया गया तर्क कि चूंकि एक किरायेदार हर साल 31 मई से पहले किराए का भुगतान करने के लिए बाध्य है, इसलिए किरायेदार यह जानने के लिए बाध्य है कि जिस व्यक्ति को वह किराए का भुगतान कर रहा है, उसकी तब से मृत्यु हो गई है और इसलिए, धारा 32-एफ के निर्माण के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है, हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, मकान मालकिन वास्तव में मुंबई में थी, जबकि किरायेदार रत्नागिरी में था। इसके अलावा, धारा 14 (1) (बी) यह स्पष्ट करती है कि यदि किरायेदार हर साल 31 मई से पहले किराए का भुगतान करने में विफल रहता है, तो मकान मालिक को पहले किरायेदार को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देना होगा कि उसने किराए का भुगतान नहीं किया है, जिसके भीतर किरायेदार को [2019] 15 एस. सी. आर. दिया जाता है।

कृषि ग्राम जगत में हर कोई हर किसी के बारे में जानता है और इसलिए, यह माना जा सकता है कि रत्नागिरी में एक ग्रामीण को अपने मकान मालिक की मृत्यु के बारे में पता चल जाएगा, इस मामले के तथ्यों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता है क्योंकि मकान मालिक मुंबई में रहता था और उसकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा भावनात्मक तर्क 1956 में प्राप्त स्थिति के विपरीत आज प्राप्त होने वाली विपरीत स्थिति के बारे में, अर्थात्, कि यह किरायेदार हैं जो अब संपन्न हैं और मकान मालिक जो गरीब हैं, फिर से विद्वान वकील की धारणा है जिसका इस मामले के तथ्यों या कानून पर कोई असर नहीं है जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है।

50. जिन प्रश्नों का हमें उल्लेख किया गया है, उनका उत्तर अब इस प्रकार दिया गया हैः

(i) 1969 के संशोधन अधिनियम का उद्देश्य एक मकान मालिक, जो एक विधवा थी, के किरायेदार द्वारा खरीद के अधिकार का दायरा तय करने में प्रासंगिक और लागू होता है।

या टिलर्स पर मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित '

एक दिन।

((ii) विधवा के हित में उत्तराधिकारी, किरायेदार को विधवा के ब्याज की समाप्ति की सूचना भेजने के लिए बाध्य है ताकि किरायेदार अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।

खरीदारी करें।

(iii) अप्पा नरसप्पा (ऊपर) में निर्णय को खारिज कर दिया गया है। सुदाम गणपत (ऊपर) में निर्णय

जैसा कि फैसले के पैराग्राफ 47 में कहा गया है। तुकाराम मारुति (ऊपर) में निर्णय, इस हद तक कि यह अप्पा में निर्धारित कानून का पालन करता है

नरसप्पा (ऊपर), खारिज कर दिया गया है।

इसलिए हम अपीलों को स्वीकार करते हैं और 1 अगस्त, 2014 के उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर देते हैं। नतीजतन, किरायेदार द्वारा 2008 की खरीद की सूचना को अब अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड में लिया जाएगा।

अधिनियम के तहत, जो अब खरीद मूल्य और उसके भुगतान को निर्धारित करने के लिए अधिनियम के तहत आगे बढ़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इस मामले में किरायेदार का भूमि का स्वामित्व रखने का स्थगित अधिकार तब वैधानिक शर्तों को पूरा करने पर अस्तित्व में आ जाएगा। अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान